

10 वर्ष (2016-2025)

अध्यायवार

लोक प्रशासन

आईएस मुख्य परीक्षा प्रश्नोत्तर रूप में

हल प्रश्न-पत्र



10 वर्ष (2016-2025)

अध्यायवार

लोक प्रशासन

आईएएस मुख्य परीक्षा प्रश्नोत्तर रूप में

हल प्रश्न-पत्र

यह पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय के साथ-साथ राज्य लोक सेवा आयोगों की मुख्य परीक्षाओं तथा अन्य समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी है।

संपादक: एन. एन. ओझा

हल: क्रॉनिकल संपादकीय समूह

अनुक्रमणिका

अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र 2016-2025

प्रथम प्रश्न-पत्र

1. **लोक प्रशासन: परिचय**..... 1-13
 - ♦ लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महत्व, विल्सन के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन, विषय का विकास तथा इसकी वर्तमान स्थिति, नया लोक प्रशासन, लोक विकल्प उपागम, उदारीकरण की चुनौतियाँ, निजीकरण, भूमंडलीकरण; अच्छा अभिशासन : अवधारणा तथा अनुप्रयोग, नया लोक प्रबंध।
2. **प्रशासनिक विचार**..... 14-40
 - ♦ वेबर का नौकरशाही मॉडल, उसकी आलोचना और वेबर पश्चात् का विकास, गतिशील प्रशासन (मेयो पार्कर फॉले), मानव संबंध स्कूल (एल्टोन मेयो तथा अन्य), कार्यपालिका के कार्य (सीआई बर्नाडे), साइमन निर्णयन सिद्धांत, भागीदारी प्रबंध (मैक ग्रेगर, आर. लिंकर्ट, सी. आजीरिस)।
3. **प्रशासनिक व्यवहार**..... 41-53
 - ♦ निर्णयन प्रक्रिया एवं तकनीक, संचार, मनोबल, प्रेरणा, सिद्धांत-अंतर्वस्तु, प्रक्रिया एवं समकालीन; नेतृत्व सिद्धांत : पारंपरिक एवं आधुनिक।
4. **संगठन**..... 54-66
 - ♦ सिद्धांत-प्रणाली, प्रासंगिकता; संरचना एवं रूप : मंत्रालय तथा विभाग, निगम, कंपनियाँ, बोर्ड तथा आयोग-तदर्थ तथा परामर्शदाता निकाय मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संबंध। नियामक प्राधिकारी; लोक-निजी भागीदारी।
5. **जवाबदेही और नियंत्रण**..... 67-77
 - ♦ उत्तरदायित्व और नियंत्रण की संकल्पनाएं, प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण। नागरिक तथा प्रशासन; मीडिया की भूमिका, हित समूह, स्वैच्छिक संगठन, सिविल समाज, नागरिकों का अधिकार-पत्र (चार्टर)। सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखा परीक्षा।
6. **प्रशासनिक कानून**..... 78-83
 - ♦ अर्थ, विस्तार और महत्व, प्रशासनिक विधि पर Dicey, प्रत्यायोजित विधान-प्रशासनिक अधिकरण।
7. **तुलनात्मक लोक प्रशासन**..... 84-89
 - ♦ प्रशासनिक प्रणालियों पर प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक एवं समाज वैज्ञानिक कारक; विभिन्न देशों में प्रशासन एवं राजनीति; तुलनात्मक लोक प्रशासन की अद्यतन स्थिति; पारिस्थितिकी की एवं प्रशासन, रिसिसन मॉडल एवं उनके आलोचक।
8. **विकास गतिशीलता**..... 90-102
 - ♦ विकास की संकल्पना, विकास प्रशासन की बदलती परिच्छदिका; विकास विरोधी अभिधारणा, नौकरशाही एवं विकास; शक्तिशाली राज्य बनाम बाजार विवाद; विकासशील देशों में प्रशासन पर उदारीकरण का प्रभाव; महिला एवं विकास, स्वयं सहायता समूह आंदोलन।
9. **कार्मिक प्रशासन**..... 103-114
 - ♦ मानव संसाधन विकास का महत्व, भर्ती प्रशिक्षण, जीविका विकास, हैसियत वर्गीकरण, अनुशासन, निष्पादन मूल्यांकन, पदोन्नति, वेतन तथा सेवा शर्तें, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध, शिकायत निवारण क्रिया विधि, आचरण संहिता, प्रशासनिक आचार-नीति।
10. **सार्वजनिक नीति**..... 115-126
 - ♦ नीति निर्माण के मॉडल एवं उनके आलोचक; संप्रत्ययीकरण की प्रक्रियाएं, आयोजन; कार्यान्वयन, मानीटरन, मूल्यांकन एवं पुनरीक्षा एवं उनकी सीमाएं; राज्य सिद्धांत एवं लोकनीति सूत्रण।
11. **प्रशासनिक सुधार की तकनीक**..... 127-136
 - ♦ संगठन एवं पद्धति, कार्य अध्ययन एवं कार्य प्रबंधन; ई-गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी; प्रबंधन सहायता उपकरण जैसे कि नेटवर्क विश्लेषण, MIS, PERT, CPM
12. **वित्तीय प्रशासन**..... 137-158
 - ♦ वित्तीय तथा राजकोषीय नीतियाँ, लोक उधार ग्रहण तथा लोक ऋण। बजट प्रकार एवं रूप; बजट-प्रक्रिया, वित्तीय जवाबदेही, लेखा तथा लेखा परीक्षा।

द्वितीय प्रश्न-पत्र

1. **भारतीय प्रशासन का विकास**..... 159-164
 - ♦ कौटिल्य का अर्थशास्त्र; मुगल प्रशासन; राजनीति एवं प्रशासन में ब्रिटिश शासन का रिक्थलोक सेवाओं का भारतीयकरण, राजस्व प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन।
2. **सरकार के दार्शनिक और संवैधानिक ढांचे**..... 165-172
 - ♦ प्रमुख विशेषताएं एवं मूल्य आधारिकाएं; संविधानवाद; राजनैतिक संस्कृति; नौकरशाही एवं लोकतंत्र; नौकरशाही एवं विकास।
3. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**..... 173-179
 - ♦ आधुनिक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के रूप; स्वायत्तता, जवाबदेही एवं नियंत्रण की समस्याएं; उदारीकरण एवं निजीकरण का प्रभाव।
4. **केंद्र सरकार और प्रशासन**..... 180-197
 - ♦ कार्यपालिका, संसद, विधायिका-संरचना, कार्य, कार्य प्रक्रियाएं; हाल की प्रवृत्तियां; अंतरशासकीय संबंध; कैबिनेट सचिवालय; प्रधानमंत्री कार्यालय; केन्द्रीय सचिवालय; मंत्रालय एवं विभाग; बोर्ड, आयोग, संबद्ध कार्यालय; क्षेत्र संगठन।
5. **योजनाएं और प्राथमिकताएं**..... 198-207
 - ♦ योजना मशीनरी, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका, रचना एवं कार्य, संकेतात्मक आयोजना, संघ एवं राज्य स्तरों पर योजना निर्माण प्रक्रिया, संविधान संशोधन (1992) एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु विकेन्द्रीकरण आयोजन।
6. **राज्य सरकार और प्रशासन**..... 208-220
 - ♦ संघ-राज्य प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय संबंध; वित्त आयोग भूमिका; राज्यपाल; मुख्यमंत्री; मंत्रिपरिषद; मुख्य सचिव; राज्य सचिवालय; निदेशालय।
7. **स्वतंत्रता के बाद जिला प्रशासन**..... 221-224
 - ♦ कलेक्टर की बदलती भूमिका, संघ-राज्य स्थानीय संबंध, विकास प्रबंध एवं विधि तथा अन्य प्रशासन के विध्यर्थ, जिला प्रशासन एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण।
8. **नागरिक सेवाएं**..... 225-237
 - ♦ सांविधानिक स्थिति; संरचना, भर्ती, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण; सुशासन की पहल; आचरण संहिता एवं अनुशासन; कर्मचारी संघ; राजनीतिक अधिकार; शिकायत निवारण क्रियाविधि; सिविल सेवा की तटस्थता; सिविल सेवा सक्रियतावाद।
9. **वित्तीय प्रबंधन**..... 238-253
 - ♦ राजनीतिक उपकरण के रूप में बजट; लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण; मौद्रिक एवं राजकोषीय क्षेत्र में वित्त मंत्रालय की भूमिका; तकनीक; लेखापरीक्षा; लेखा महानियंत्रक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका।
10. **स्वतंत्रता के बाद से प्रशासनिक सुधार**..... 254-261
 - ♦ प्रमुख सरोकार; महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग; वित्तीय प्रबंध एवं मानव संसाधन विकास में हुए सुधार; कार्यान्वयन की समस्याएं।
11. **ग्रामीण विकास**..... 262-269
 - ♦ स्वतंत्रता के बाद से संस्थान एवं अभिकरण; ग्रामीण विकास कार्यक्रम; फोकस एवं कार्यनीतियां; विकेन्द्रीकरण पंचायती राज; 73वां संविधान संशोधन।
12. **शहरी स्थानीय सरकार**..... 270-279
 - ♦ नगरपालिका शासन : मुख्य विशेषताएं संरचना वित्त एवं समस्या क्षेत्र, 74वां संविधान संशोधन; विश्वव्यापी स्थानीय विवाद; नया स्थानिकतावाद; विकास गतिकी; नगर प्रबंध के विशेष संदर्भ में राजनीति एवं प्रशासन।
13. **कानून और व्यवस्था प्रशासन**..... 280-293
 - ♦ ब्रिटिश रिक्थ; राष्ट्रीय पुलिस आयोग; जांच अभिकरण; विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा उपप्लव एवं आतंकवाद का सामना करने में पैरामि. लिटरी बलों समेत केन्द्रीय एवं राज्य अभिकरणों की भूमिका; राजनीति एवं प्रशासन का अपराधीकरण; पुलिस लोक संबंध; पुलिस में सुधार।
14. **भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे**..... 294-308
 - ♦ लोक सेवा में मूल्य; नियामक आयोग; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग; बहुदलीय शासन प्रणाली में प्रशासन की समस्याएं; नागरिक प्रशासन अंतराफलक; भ्रष्टाचार एवं प्रशासन; विपदा प्रबंधन।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (प्रथम प्रश्न पत्र)

लोक प्रशासन: परिचय

प्र. अपूर्ण बाजार और राजनैतिक घटक लोक चयन उपागम के अनुप्रयोग को सीमित करते हैं। समझाइए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: लोक चयन उपागम प्रशासनिक निर्णयों में आर्थिक तर्कों को लागू करता है, लेकिन अपूर्ण बाजार एवं राजनैतिक घटक इसकी व्यवहार्यता एवं प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। लोक चयन उपागम, जिसे जेम्स बुकानन एवं गॉर्डन टुलॉक ने विकसित किया, सरकारी निर्णयों को बाजार तर्क पर आधारित मानता है। यह उपागम मतदाताओं, राजनेताओं एवं नौकरशाहों को स्वार्थी अभिनेता के रूप में चित्रित करता है, किंतु अपूर्ण बाजार एवं राजनैतिक घटक इसके अनुप्रयोग को बाधित करते हैं।

अपूर्ण बाजार की सीमाएँ

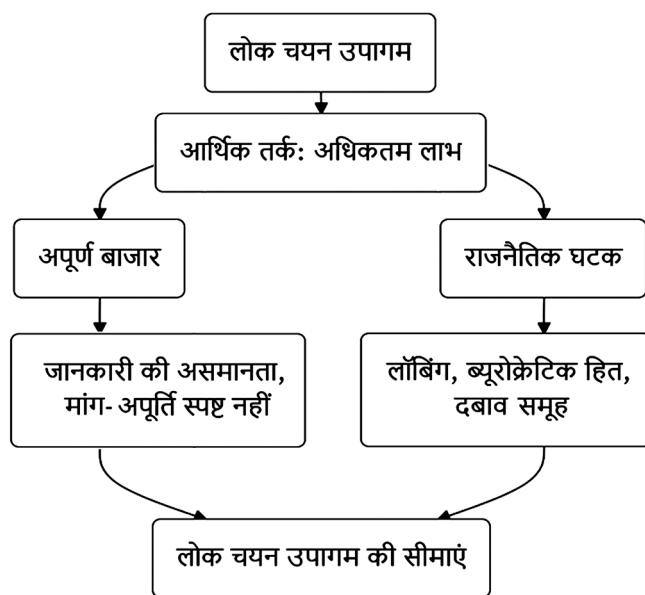
- सार्वजनिक सेवाओं का बाजार वैसा नहीं होता जैसा निजी क्षेत्र में होता है; वस्तुओं की मांग व आपूर्ति अस्पष्ट होती है।
- जानकारी की विषमता (Information Asymmetry) के कारण नागरिकों के चुनाव असमान्यता से ग्रस्त रहते हैं।
- वोटर्स की प्राथमिकता स्पष्ट नहीं होती, जिससे निर्णय लेना कठिन हो जाता है।
- अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, लॉबींग एवं रेंट-सीकिंग जैसे कारक निष्पक्षता को बाधित करते हैं।

राजनैतिक घटकों की सीमाएँ

- राजनेता व प्रशासक अपने हित साधने हेतु निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिससे जन-हित कमजोर पड़ता है।
- ब्यूरोक्रेट्स अक्सर बजट अधिकतमकरण एवं संगठनात्मक संस्कृति के प्रभाव में रहते हैं।
- लोकतांत्रिक तंत्र में सामूहिक निर्णय के समय मतभेद, गठबंधन-राजनीति व दबाव समूह नीति-निर्माण में विकृति लाते हैं।

प्रभाव का सरलीकृत निरूपण (फ्लोचार्ट द्वारा)

- इस प्रकार, अपूर्ण बाजार एवं विविध राजनैतिक घटक लोक चयन उपागम की सीमाओं को रेखांकित करते हैं, जिससे सार्वजनिक प्रशासन में इसकी तर्कसंगतता व प्रभावशीलता बाधित हो जाती है।



प्र. वास्तव में नव लोक प्रबंध, परम्परागत लोक प्रशासन से लेकर जिसे अब नव लोक शासन कहते हैं तक के उद्भव में एक अल्पकालिक अवस्था रही है। परीक्षण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: नव लोक प्रबंध (NPM) वास्तव में लोक प्रशासन (OPA) की कठोरताओं की प्रतिक्रिया में जन्मा एक अल्पकालिक, संक्रमणकालीन चरण था, जिसने अंततः अधिक सहभागितापूर्ण नव लोक शासन (NPG) के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया।

परंपरागत लोक प्रशासन से नव लोक प्रबंध तक का संक्रमण

- परंपरागत लोक प्रशासन:** यह वेलफेयर स्टेट (कल्याणकारी राज्य) के युग में प्रभावी था, जो पदानुक्रम, नियमों, प्रक्रियाओं और इनपुट नियंत्रण पर केंद्रित था। इसकी पहचान दक्षता में कमी और नागरिकों से दूरी थी।
- नव लोक प्रबंध:** 1980 के दशक में परंपरागत लोक प्रशासन की अक्षमताओं की प्रतिक्रिया में आया। नव लोक प्रबंध ने बाजार-उन्मुख सुधारों पर जोर दिया।

विशेषताएँ:

- प्रबंधकीयवाद:** निजी क्षेत्र के उपकरण और तकनीकों का उपयोग।

प्रशासनिक विचार

प्र. नौकरशाही काल्पनिक राज्य है और वह राज्य का आध्यात्मिकवाद है। व्याख्या कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: यह कथन नौकरशाही को आदर्श राज्य की काल्पनिक अभिव्यक्ति तथा राज्य की चेतना (अध्यात्मवाद) के रूप में चित्रित करता है, जो इसकी सैद्धांतिक और व्यावहारिक भूमिका के द्वंद्व को दर्शाता है।

- यह कथन मूल रूप से हीगल के विचारों से प्रेरित है, जिन्होंने नौकरशाही को सार्वभौमिक हित के संरक्षक के रूप में देखा, जिसे मार्क्स ने कठोरता से चुनौती दी।
- इस अवधारणा की व्याख्या विवादास्पद विचारों के साथ की गई है:

काल्पनिक राज्य के रूप में नौकरशाही

- हेगल का आदर्शवाद:** हेगल के अनुसार, नौकरशाही वह सार्वभौमिक वर्ग है जो व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर राज्य के सामान्य हित (General Interest) का प्रतिनिधित्व करता है।
 - इस अर्थ में, नौकरशाही तर्कसंगतता और सार्वभौमिकता का प्रतीक बनकर एक 'आदर्श' या 'काल्पनिक' राज्य का रूप लेती है, जैसा कि संविधान में परिकल्पित है।
- मार्क्स का विखंडन (Controversial View):** मार्क्स ने इस विचार का खंडन किया। उनके अनुसार, नौकरशाही वास्तव में 'काल्पनिक राज्य' है क्योंकि यह सार्वभौमिक हित का दिखावा करती है, जबकि यह केवल शासक वर्ग (Ruling Class) के संकीर्ण, निजी हितों की सेवा करती है। यह केवल एक भ्रम पैदा करती है कि यह तटस्थ है।

राज्य के अध्यात्मवाद के रूप में नौकरशाही (Spiritualism of the State)

- वैचारिक औचित्य:** 'राज्य का अध्यात्मवाद' का अर्थ है कि नौकरशाही राज्य की आत्मा या चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। यह राज्य की तर्कसंगतता और वैधता को प्रतिदिन के कार्यों के माध्यम से मूर्त रूप देती है, जिससे राज्य का अमूर्त अस्तित्व मूर्त होता है।
- व्यवहार में विफलता:** मार्क्सवादी दृष्टिकोण में, नौकरशाही कानूनी तर्कसंगतता के बावजूद अमानवीय और जन-विरोधी हो जाती है। यह अपने आप में एक शक्ति का केंद्र बन जाती है और जनता से अलग-थलग हो जाती है।
 - इसका 'अध्यात्मवाद' केवल शक्ति का भ्रम है जो राज्य को धार्मिक श्रद्धा से युक्त करता है ताकि लोग उसके नियमों का पालन करें।

- वेबर का समर्थन:** मैक्स वेबर ने इसे 'कानूनी-तर्कसंगत प्राधिकार' के रूप में देखा। वेबर के अनुसार, नौकरशाही का कार्य तर्कसंगत नियम-आधारित व्यवस्था को लागू करना है, जो आधुनिक राज्य के लिए आवश्यक 'आत्मा' है।
- नौकरशाही की यह दार्शनिक अवधारणा आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच द्वंद्व प्रस्तुत करती है, जिसे नैतिक जवाबदेही से हल किया जा सकता है।

प्र. मेरी पार्कर फॉलेट ने संगठन के अध्ययन की सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपागम के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। व्याख्या कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: नव लोक प्रबंध परंपरागत लोक प्रशासन की नौकरशाही से नव लोक शासन की नेटवर्क-आधारित सहयोगिता तक संक्रमणकालीन चरण के रूप में उभरा, जो दक्षता पर जोर देते हुए शासन को आधुनिक बनाता है।

- नव लोक प्रबंध, 1980-90 के दशक में विकसित, परंपरागत लोक प्रशासन (परंपरागत लोक प्रशासन) की कठोर संरचना को चुनौती देता है तथा नव लोक शासन की नींव रखता है। इसका परीक्षण निम्न बिंदुओं से होता है:

परंपरागत लोक प्रशासन से संक्रमण

- परंपरागत लोक प्रशासन वेबरियन मॉडल पर आधारित था, जहां पदानुक्रम, नियम एवं निष्क्रियता प्रमुख थे। नव लोक प्रबंध ने बाजारीकरण, प्रदर्शन मूल्यांकन एवं निजीकरण को अपनाकर दक्षता बढ़ाई, जैसे ब्रिटेन में थैचर सुधार।
- किंतु नव लोक प्रबंध की बाजार-केंद्रितता ने असमानता बढ़ाई, जो परंपरागत लोक प्रशासन की समानता-आधारित कमजोरी को सुधारते हुए नव लोक शासन की आवश्यकता उत्पन्न की।

अल्पकालिक अवस्था के प्रमाण

- नव लोक प्रबंध 2000 के बाद अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि जटिल सामाजिक मुद्दों (जैसे जलवायु परिवर्तन) में बाजार विफल रहा। नव लोक शासन ने सहयोगी नेटवर्क, नागरिक भागीदारी एवं समग्र शासन को प्राथमिकता दी।
- उदाहरण:** भारत में नव लोक प्रबंध-प्रेरित ई-गवर्नेंस (जैसे डिजिटल इंडिया) नव लोक शासन की ओर विस्थापित हो रहा, जहां साझेदारी मॉडल प्रमुख हैं।

सीमाएं एवं विकास

- नव लोक प्रबंध की मापन-केंद्रितता ने मानवीय मूल्यों को नजरअंदाज किया, जो नव लोक शासन में बहुआयामी मूल्यांकन से पूर्ण होता है। यह संक्रमण शासन को अधिक समावेशी बनाता है।

प्रशासनिक व्यवहार

- प्र. संगठनों की संघर्षपूर्ण स्थितियों में, नेतृत्व आक्रामक रूप को धारण करता है तथा भावुकतापूर्ण परिपक्व को पृष्ठभूमि में धकेलता है। विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर : संगठनों में संघर्ष की स्थितियों में नेतृत्व प्रायः आक्रामक शैली अपनाता है, जबकि भावुक परिपक्वता को द्वितीयक स्थान मिलता है, जो निर्णयों को प्रभावित करता है। सार्वजनिक प्रशासनिक संगठनों में संघर्ष (जैसे नीति विवाद या संसाधन संघर्ष) नेतृत्व को आक्रामक बनाते हैं, क्योंकि यह त्वरित समाधान प्रदान करता है। किंतु भावुक परिपक्वता दीर्घकालिक समन्वय सुनिश्चित करती है।

आक्रामक नेतृत्व का उदय

- संघर्ष में अनिश्चितता से बचने हेतु निर्देशात्मक शैली प्रमुख होती है, जैसे मैकियावेलियन नेतृत्व जो शक्ति प्रदर्शन पर जोर देता है। उदाहरण: संकटकाल में पै अधिकारी आक्रामक निर्णय लेते हैं, जो तात्कालिक स्थिरता लाते हैं।
- किंतु यह भावुक परिपक्वता को पृष्ठभूमि में धकेलता है, जहां सहानुभूति एवं संवाद की कमी से टीम विभाजन होता है।

भावुक परिपक्वता की भूमिका

- डैनियल गोलमैन की भावुक बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार, परिपक्व नेता संघर्ष को एकीकरण के माध्यम से सुलझाते हैं, न कि दमन से। सार्वजनिक प्रशासन में यह नागरिक-केंद्रित समाधान सुनिश्चित करता है।
- आक्रामकता अल्पकालिक लाभ देती है, किंतु परिपक्वता संगठनात्मक संस्कृति को मजबूत करती है, हालांकि संघर्ष दबाव में इसे नजरअंदाज किया जाता है। हाइब्रिड नेतृत्व (transformational) आक्रामकता एवं परिपक्वता का समन्वय करता है, जो नवीन लोक प्रबंधन एवं नवीन लोक शासन मॉडलों में प्रासंगिक है।

हाइब्रिड नेतृत्व: संतुलित समाधान

- इस प्रकार, संघर्ष में आक्रामक नेतृत्व प्रमुख होता है, किंतु भावुक परिपक्वता को प्राथमिकता देकर संगठन मजबूत बनाया जा सकता है।

- प्र. निर्णय लेने की उत्कृष्ट कला वह निर्णय लेना नहीं है जो दूसरे ले सकते हैं। टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्ट कला वह कौशल है जो प्रशासक को गैर-महत्वपूर्ण निर्णय अधीनस्थों को सौंपकर रणनीतिक निर्णयों पर केंद्रित रखता है।

- हर्बर्ट साइमन का मॉडल:** सीमित तर्कसंगतता बताती है कि सभी निर्णय शीर्ष स्तर पर लेने से अक्षमता बढ़ती है।
- विकेंद्रीकरण का महत्व:** अधीनस्थों को साधारण निर्णय सौंपने से पहल और लचीलापन बढ़ता है। उदाहरण: जिला मजिस्ट्रेट दैनिक प्रशासनिक कार्य तहसीलदारों को सौंपकर नीति निर्माण पर ध्यान देता है।
- जोखिम प्रबंधन एवं क्षमता विकास:** गैर-रणनीतिक निर्णयों का वितरण जोखिम को कम करता है।
- विश्वास-आधारित पर्यवेक्षण से अधीनस्थों की क्षमता विकसित होती है।

निर्णय लेने की उत्कृष्ट कला का संरचनात्मक मॉडल

- केंद्रीकरण की समस्या:** निर्णय प्रक्रिया में विलंब होता है। उदाहरण: भारत में केंद्रीय योजनाओं का स्थानीय स्तर पर धीमा क्रियान्वयन।
- रणनीतिक फोकस:** शीर्ष स्तर के निर्णय राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करते हैं। मैकियावेली की द प्रिंस नेतृत्व शैली का उदाहरण, आधुनिक प्रशासन में लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़ा।
- विकेंद्रीकरण संगठन को कुशल बनाता है, उत्कृष्ट निर्णय नेतृत्व की कुंजी है, जिससे जनकल्याणकारी शासन सुदृढ़ होता है।

- प्र. नेतृत्व न केवल सफलताओं का श्रेय लेना है बल्कि असफलताओं को स्वीकार करना और उसके प्रति उत्तरदायी होना भी है। स्पष्ट कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: वास्तविक नेतृत्व वह है जो सफलताओं के लिए श्रेय लेने के साथ-साथ असफलताओं की जिम्मेदारी स्वीकार करने का साहस भी दिखाता है, जो नैतिक जवाबदेही का मूल है। नेतृत्व द्वारा असफलता की जिम्मेदारी लेने के नैतिक दायित्व के बावजूद, व्यवहार में यह एक विवादास्पद विचार है, जिसे निम्नलिखित दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है:

श्रेय और दोष का राजनीतिकरण (Politicization of Credit and Blame)

- सत्तावादी प्रवृत्ति:** संगठनों में अक्सर एक सत्तावादी प्रवृत्ति (Authoritarian Tendency) पाई जाती है, जहाँ नेता सफलता को व्यक्तिगत गौरव के रूप में देखते हैं (जिसे “ग्रेट मैन थ्योरी” के रूप में प्रचारित किया जाता है) और असफलता को अधीनस्थ कर्मचारियों या बाहरी कारकों (पर्यावरण की अस्थिरता) पर डाल देते हैं।

संगठन

प्र. नव लोक प्रबंध रूपरेखा के अधीन 'सार्वजनिक निजी भागीदारी' संगठन के बंद और खुले प्रतिमानों के उत्क्रम-माप को चुनौतियाँ देती है। विश्लेषण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: नव लोक प्रबंध (NPM) के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) संगठन के बंद (नौकरशाही) एवं खुले (प्रणालीगत) प्रतिमानों की उत्क्रम को चुनौती देती है, दक्षता एवं लचीलापन बढ़ाकर।

मुख्य भाग

- NPM रूपरेखा बाजार-उन्मुख सुधारों पर आधारित है, जहां PPP सरकारी सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। बंद एवं खुले संगठन प्रतिमानों की उत्क्रम, अर्थात् अव्यवस्था एवं अक्षमता की प्रवृत्ति, PPP द्वारा चुनौतीपूर्ण होती है। विश्लेषण निम्न बिंदुओं से:

बंद प्रतिमान की उत्क्रम पर चुनौती

- बंद मॉडल (वेबरियन नौकरशाही) आंतरिक नियमों पर केंद्रित होता है, जहां उत्क्रम पदानुक्रम एवं निष्क्रियता से उत्पन्न होती है। PPP बाहरी बाजार तत्वों को एकीकृत कर लचीलापन लाता है, जैसे भारत में हाईवे PPP परियोजनाओं में जोखिम साझेदारी से अक्षमता कम होती है।
- इससे बंद प्रणाली की आत्म-संघनन उत्क्रम (self-entropy) टूटती है, दक्षता-मापन (performance metrics) लागू होकर।

खुले प्रतिमान की उत्क्रम पर चुनौती

- खुले मॉडल (प्रणाली सिद्धांत) पर्यावरणीय अंतर्क्रियाओं पर निर्भर होते हैं, किंतु जटिलता से उत्क्रम बढ़ती है। PPP हाइब्रिड संरचना प्रदान कर नेटवर्क स्थिरता सुनिश्चित करता है, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में PPP से इनपुट-आउटपुट संतुलन।
- NPM के अंतर्गत PPP अनुकूलन (adaptation) को बढ़ावा देता है, उत्क्रम को नियंत्रित कर संगठन को गतिशील बनाता है।

समग्र प्रभाव

- PPP बंद की कठोरता एवं खुले की अनिश्चितता दोनों को संतुलित कर संगठनात्मक उत्क्रम को न्यून करता है, किंतु नियंत्रण एवं हित-संघर्ष चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
- कुल मिलाकर, PPP संगठन को NPM के अनुरूप अधिक अनुकूलनीय बनाता है। PPP NPM के माध्यम से बंद-खुले प्रतिमानों की उत्क्रम को प्रभावी चुनौती देती है, शासन दक्षता उन्नत कर।

प्र. मुख्यालय और क्षेत्रीय अभिकरणों के स्वस्थ संबंध प्रभावी संचार पर फलते-फूलते हैं। टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: मुख्यालय और क्षेत्रीय अभिकरणों के बीच सुव्यवस्थित समन्वय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता के लिए आवश्यक है। मैक्स वेबर (नौकरशाही पदानुक्रम) और चेस्टर बर्नार्ड (संगठनों में संचार) जैसे विचारकों ने इस बात पर जोर दिया है कि सुस्पष्ट और संरचित संचार नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्यालय और क्षेत्रीय अभिकरणों के संबंधों में प्रभावी संचार का महत्व

- यह सुनिश्चित करता है कि नीतियों का एक समान क्रियान्वयन हो:

- क्षेत्रीय अभिकरणों को मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने चाहिए ताकि नीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
- उदाहरण: भारत के चुनाव आयोग द्वारा राज्य चुनाव कार्यालयों को दिए गए स्पष्ट दिशा-निर्देश चुनाव प्रक्रिया में समानता बनाए रखते हैं।

- ब्यूरोक्रेटिक लालफीताशाही को कम करता है:

- प्रभावी संचार निर्णय-निर्माण में देरी को रोकता है और प्रशासनिक अक्षमताओं को समाप्त करता है।
- उदाहरण: डिजिटल इंडिया पहल ने केंद्र और राज्य आईटी विभागों के बीच संचार को सुव्यवस्थित किया है।

- बेहतर समन्वय और फीडबैक तंत्र को सुगम बनाता है:

- द्वि-दिशात्मक संचार सुनिश्चित करता है कि जमीनी स्तर की चुनौतियों को नीति-संशोधन में शामिल किया जाए।
- उदाहरण: जिला प्रशासन द्वारा केंद्र को कोविड-19 चुनौतियों की सूचना देने से अनुकूल नीतियाँ बनाई गईं।

- विकेंद्रीकरण और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करता है:

- हेनरी फेयोल के स्केलर चैन सिद्धांत के अनुसार, संचार भूमिकाओं को स्पष्ट करता है, जिससे सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। उदाहरण: पंचायती राज व्यवस्था राज्य और स्थानीय निकायों के बीच प्रभावी संचार पर निर्भर करती है।

- आपदा प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाता है:

- मुख्यालय और क्षेत्रीय एजेंसियों के बीच त्वरित संचार से आपातकालीन स्थितियों में शीघ्र प्रतिक्रिया संभव होती है।
- उदाहरण: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया टीमों के साथ वास्तविक समय समन्वय चक्रवात जैसी आपदाओं से निपटने में सहायक होता है।

निष्कर्ष

प्रभावी संचार एक सहयोगी और उत्तरदायी प्रशासन को बढ़ावा देता है, जिससे मुख्यालय और क्षेत्रीय अभिकरणों के बीच की खाई पाटी जा सकती है। संस्थागत संचार तंत्र को मजबूत करना कुशल शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए आवश्यक है।

जवाबदेही और नियंत्रण

प्र. क्या संचार माध्यमों ने सरकारों को जवाबदेह बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपनी भूमिका को शून्य बना दिया है? तर्क प्रस्तुत कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: संचार माध्यम सरकारों को जवाबदेह बनाने और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं, परंतु वर्तमान परिदृश्य में उनकी भूमिका पर गंभीर प्रश्न उठे हैं।

मीडिया की अपनी जवाबदेही-भूमिका कमजोर कैसे हुई है?

- कॉरपोरेट नियंत्रण व राजनीतिक पक्षपात: स्वामित्व-केंद्रित मीडिया राजनीतिक/आर्थिक हितों से प्रभावित होकर वॉचडॉग से लैपडॉग की भूमिका निभाने लगा है।
- मीडिया ट्रायल एवं सनसनी फैलाना: TRP आधारित रिपोर्टिंग ने तथ्यपरक विश्लेषण की जगह भावनात्मक ध्रुवीकरण को बढ़ाया।
- फेक न्यूज-इको चेंबर: सोशल मीडिया के अतिशय प्रभाव ने सत्यापन की विश्वसनीयता घटाई।
- अन्वेषी पत्रकारिता में गिरावट: पेड न्यूज, प्रॉपेगेंडा और सरकारी विज्ञापन निर्भरता ने आलोचनात्मक रिपोर्टिंग कम की।

मीडिया की भूमिका क्यों शून्य नहीं हुई है

- RTI, घोटाले, नीति सुधार: 2G, कोल, चाइल्ड-लंच, बलात्कारी संरक्षण मामलों में मीडिया ने जवाबदेही बढ़ाई।
 - डिजिटल मीडिया का उभार: स्वतंत्र पोर्टल, फ़ैक्ट-चेक प्लेटफॉर्म ने पारदर्शिता में नई संभावनाएँ विकसित कीं।
 - नागरिक सहभागिता: सोशल मीडिया सरकार/समाजिक संवाद और शिकायत निवारण का प्रभावी उपकरण बना।
- मीडिया की भूमिका कमजोर अवश्य हुई है, पर पूर्णतः शून्य नहीं; सुधार, स्वतंत्रता और नैतिकता से इसकी क्षमता पुनः सशक्त हो सकती है।

प्र. अवरोध और संतुलन का सिद्धान्त महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्यों में गिना जाता है। टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: अवरोध और संतुलन का सिद्धान्त संवैधानिक व्यवस्था का मूल आधार है, जो शक्ति के दुरुपयोग को रोककर लोकतंत्र और न्याय सुनिश्चित करता है।

अवरोध और संतुलन का सिद्धान्त

- यह सिद्धान्त तीन प्रमुख सरकारी शाखाओं- विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका के बीच शक्ति के संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था प्रस्तुत करता है।
- इसका उद्देश्य किसी भी शाखा की शक्ति का केंद्रीकरण रोकना और लोकतंत्र की संहिता को संरक्षित करना है।

संवैधानिक महत्व

- यह व्यवस्था स्वतंत्रता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के संवैधानिक मूल्यों को पुष्ट करती है।
- परंतु कुछ आलोचक इसे थकाऊ और निर्णय लेने में जटिलता बढ़ाने वाला मानते हैं, जिससे क्रियाशीलता सीमित हो सकती है।

विवादास्पद विचार

- संतुलन की इस प्रणाली में, यह अत्यधिक जटिल प्रक्रियाएं हैं जो लोकतंत्र को धीमा और अप्रभावी बना सकती हैं।
 - कुछ देशों में इसका उपयोग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को बाधित करने, नीतिगत गतिरोध उत्पन्न करने के लिए भी होता है।
 - न्यायपालिका का अधिव्याप्ति से राजनीतिकरण भी इस सिद्धान्त के उद्देश्य के विरुद्ध जाता है।
- अवरोध और संतुलन का सिद्धान्त लोकतंत्र को संरक्षित करने का मूल आधार है; इसे यथार्थपरक सुधारों से और अधिक सशक्त बनाना होगा।

प्र. विकास प्रक्रिया में नागरिक समाज की प्रभावशीलता तभी संभव है जब राज्य संस्थाएं नागरिक समाज संगठनों से प्राप्त सुझावों को स्वीकार करें। विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: विकास प्रक्रिया में नागरिक समाज की प्रभावशीलता राज्य की खुली, संवेदनशील एवं स्वीकारात्मक संस्थाओं के बिना अपूर्ण रहती है।

नागरिक समाज (NGOs, CBOs, SHGs, सोशल मूवमेंट्स) विकास के अंतिम चरण तक पहुंच, सामुदायिक भागीदारी एवं नीति निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किंतु उसकी प्रभावशीलता राज्य की स्वीकारात्मकता पर निर्भर है :

- ज्ञान एवं अनुभव का स्थानीय पूल: नागरिक समाज के पास स्थानीय वास्तविकता, सांस्कृतिक संदर्भ एवं कमजोर वर्गों की आवाज होती है जो राज्य तंत्र तक नहीं पहुंच पाती।
- नीति निर्माण में भागीदारी: प्री-लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी, NAC (2004-14), NITI आयोग की NGO साझेदारी, स्थानीय स्वशासन में Standing Committee में NGO प्रतिनिधित्व इसके उदाहरण हैं।
- कार्यान्वयन में सहभागिता: NRHM में ASHA-Rogi Kalyan Samiti, मनरेगा में सोशल ऑडिट, जल जीवन मिशन में VWSC में NGO भागीदारी तभी सफल हुई जब राज्य ने सुझाव स्वीकार किए।
- निगरानी एवं जवाबदेही: RTI आंदोलन, MKSS का सामाजिक अंकेक्षण, CAG के साथ नागरिक समाज सहयोग तभी प्रभावी जब राज्य सुधार के लिए तैयार हो।

प्रशासनिक कानून

प्र. “प्रत्यायोजित विधान सुस्पष्ट और विधायिका द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत होना चाहिए।” उपर्युक्त कथन के प्रकाश में व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार प्रशासनिक स्वविवेक के दुरुपयोग को नियंत्रित किया जा सकता है?

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: प्रत्यायोजित विधान का स्पष्ट एवं विधायिका द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत होना प्रशासनिक स्वविवेक के दुरुपयोग को रोकने का मूल साधन है, जो शासन में निष्पक्षता एवं विधिनियंत्रण सुनिश्चित करता है।

- प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका को विधायिका से प्राप्त अधिकारों पर आधारित नियम-निर्माण की प्रक्रिया है, जो आधुनिक प्रशासन की जटिलताओं से निपटने हेतु आवश्यक है। किंतु अस्पष्ट या असीमित प्रत्यायोजित विधान प्रशासकों को असीमित स्वविवेक प्रदान कर दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न करता है, जैसे भ्रष्टाचार या पक्षपात। उपर्युक्त कथन के प्रकाश में, दुरुपयोग नियंत्रण हेतु निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं:

स्पष्टता का सुनिश्चितकरण

- प्रत्यायोजित विधान में शब्दावली एवं प्रावधानों को असंदिग्ध बनाना चाहिए, ताकि स्वविवेक का दायरा सीमित रहे। उदाहरणस्वरूप, भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत स्पष्ट दिशानिर्देशों से राशन वितरण में मनमानी रोकी जाती है। इससे प्रशासक को व्याख्या की गुंजाइश कम मिलती है, जो न्यायिक हस्तक्षेप को न्यून करता है।

विधायिका द्वारा सीमाओं का निर्धारण:

- मूल विधान में ‘पैरेंट एक्ट’ के रूप में स्पष्ट सीमाएं (जैसे समय-सीमा, क्षेत्र-विशेष) निर्धारित कर प्रत्यायोजित विधान को बांधा जाए। इससे कार्यपालिका का स्वविवेक विधायी इच्छा के अधीन रहता है।
- संसदीय समितियां (जैसे भारत की अधीनस्थ विधान समिति) प्रत्यायोजित नियमों की समीक्षा कर दुरुपयोग की जांच करती हैं।

नियंत्रण तंत्रों का सुदृढ़ीकरण

- न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के माध्यम से अस्पष्ट प्रत्यायोजित विधान को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, जैसे केशवानंद भारती मामले में। साथ ही, लोक लेखा समिति एवं RTI अधिनियम जैसे उपकरण पारदर्शिता बढ़ाते हैं। प्रशिक्षण एवं नैतिक संहिता से प्रशासकों का स्वविवेक जिम्मेदार बनाया जाए।
- यह स्पष्ट एवं सीमित प्रत्यायोजित विधान स्वविवेक को विधि नियंत्रित बनाता है। कुल मिलाकर, ये उपाय लोक प्रशासन को अधिक उत्तरदायी एवं कुशल बनाते हैं।
- अंततः, स्पष्ट एवं सीमित प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से प्रशासनिक स्वविवेक का दुरुपयोग नियंत्रित होकर शासन व्यवस्था मजबूत होती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाती है।

प्र. लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंध और लोक शासन की आधारशीलाएं ‘विधि के शासन’ पर आधारित हैं। विवेचना कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंध एवं लोक शासन की आधारशीलाएं विधि के शासन पर टिकी हैं, जो निष्पक्षता, जवाबदेही एवं समानता सुनिश्चित करती हैं। विधि का शासन लोकतांत्रिक शासन का मूल सिद्धांत है, जो सभी प्रशासनिक प्रतिमानों को निर्देशित करता है। यह निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है:

लोक प्रशासन (PA) में विधि का शासन

- वेबरियन नौकरशाही में विधि का शासन पदानुक्रम एवं नियमों के माध्यम से निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
 - उदाहरण: भारत में संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 14) समानता को मजबूत करते हैं, किंतु नौकरशाही की कठोरता कभी-कभी विधि का शासन को चुनौती देती है।

नव लोक प्रबंध (NPM) में विधि का शासन

- NPM बाजारीकरण एवं प्रदर्शन-आधारित प्रबंधन पर जोर देता है, किंतु विधि का शासन नियामक ढांचे (जैसे PPP अनुबंध) से दुरुपयोग रोकता है। विवेचना: दक्षता बढ़ाने के क्रम में निजीकरण विधि का शासन को कमजोर कर सकता है, अतः संतुलन आवश्यक है।

लोक शासन में विधि का शासन

- लोक शासन सहयोगी नेटवर्क एवं नागरिक भागीदारी पर आधारित है, जहां विधि का शासन पारदर्शिता एवं जवाबदेही (जैसे RTI) सुनिश्चित करता है। किंतु जटिल साझेदारियों में विधि का शासन का प्रसार चुनौतीपूर्ण होता है।
‘विधि के शासन’ ही लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंध एवं लोक शासन की सुष्टि और प्रभावशीलता की मूल आधारशीला है।

प्र. प्रशासनिक विधि कानून के अधीन लोक प्रशासन की व्यवस्था को सृजित करने की आवश्यकता से उत्पन्न हुई है। स्पष्ट कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: प्रशासनिक विधि उस आवश्यकता से विकसित हुई है जिसमें लोक प्रशासन को कानून के अधीन रखकर उसके अधिकारों, प्रक्रियाओं और जवाबदेही को नियंत्रित व संतुलित किया जा सके।

प्रशासन के विस्तार से विधिक नियंत्रण की आवश्यकता

- कल्याणकारी राज्य के उदय से प्रशासनिक निकायों के अधिकार बढ़े, जिससे विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग रोका जाना आवश्यक हुआ।
- प्रशासनिक कानून ने सुनिश्चित किया कि निर्णय कानून के अनुसार, पारदर्शी व न्यायोचित हों (Rule of Law)।

तुलनात्मक लोक प्रशासन

प्र. एफ. डब्ल्यू. रिग्ज की 'औद्योगिक'-अन्तर्निर्भर अर्थव्यवस्था उत्तर-आधुनिक लोक प्रशासन के कतिपय लक्षणों की पूर्वसूचक है। विश्लेषण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: एफ. डब्ल्यू. रिग्ज का औद्योगिक-अन्तर्निर्भर अर्थव्यवस्था (Industria) मॉडल उत्तर-आधुनिक लोक प्रशासन के नेटवर्क-गवर्नेंस, बाजार-उन्मुखीकरण एवं वैश्विक एकीकरण जैसे लक्षणों का सैद्धांतिक पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है। रिग्ज की प्रशासनिक पारिस्थितिकी (1961-62) में "औद्योगिक- अन्तर्निर्भर अर्थव्यवस्था" एक ऐसी उन्नत, उच्च विभेदीकृत एवं परस्पर-निर्भर अर्थव्यवस्था है जो उत्तर-आधुनिक लोक प्रशासन की कई विशेषताओं की पूर्वपीठिका बनती है। प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

- **परस्पर-निर्भरता एवं जटिलता:** औद्योगिक समाज में संरचनाएं अत्यधिक विभेदीकृत किंतु एकीकृत होती हैं → यह उत्तर-आधुनिक नेटवर्क गवर्नेंस एवं बहु-स्तरीय शासन (multi-level governance) का आधार बनता है।
- **बाजार-प्रधानता एवं प्रतिस्पर्धा:** औद्योगिक-अन्तर्निर्भर अर्थव्यवस्था में बाजार तंत्र प्रभुत्वशाली है → न्यू पब्लिक मैनेजमेंट (NPM), पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) एवं परफॉर्मेंस-आधारित प्रशासन की पूर्वसूचना।
- **वैश्विक एकीकरण:** अन्तर्निर्भर अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की अवधारणा को जन्म देती है → उत्तर-आधुनिक युग में ग्लोबल गवर्नेंस, ट्रांस-नेशनल नीति नेटवर्क एवं WTO जैसे संस्थानों का आधार।
- **तकनीकी प्रभुत्व:** औद्योगिक समाज में तकनीक केन्द्रीय → ई-शासन, डिजिटल प्रशासन एवं AI-सक्षम सेवा वितरण की नींव।
- **सामाजिक गतिशीलता एवं समावेशिता:** रिग्ज ने कार्य-आधारित समाज की कल्पना की → उत्तर- आधुनिक समावेशी नीतियां एवं लैंगिक-संवेदी प्रशासन का सैद्धांतिक आधार।

इस प्रकार रिग्ज का औद्योगिक-अन्तर्निर्भर अर्थव्यवस्था मॉडल उत्तर-आधुनिक लोक प्रशासन की संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं वैचारिक विशेषताओं का अग्रदूत सिद्ध होता है। रिग्ज का दृष्टिकोण भावी समावेशी, नेटवर्क-आधारित एवं तकनीकी-सशक्त शासन व्यवस्था की मजबूत नींव प्रदान करता है।

प्र. लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन का आधार संस्थागत उपागम से समकालीन राजनीतिक-आर्थिक प्रक्रिया उपागम तक विकसित हुआ है। क्या इन सभी उपागमों ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के सिद्धान्त के विकास को आसान बनाया है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: तुलनात्मक लोक प्रशासन का आधार संस्थागत उपागम से विकसित होकर राजनीतिक-आर्थिक प्रक्रिया उपागम तक पहुँचा है, जिसने तुलनात्मक लोक प्रशासन के सैद्धांतिक विकास की राह को जटिल बनाया है।

तुलनात्मक लोक प्रशासन के सिद्धांत के विकास के संदर्भ में विभिन्न उपागम:

संस्थागत उपागम

- **आधार:** तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रारंभिक चरण में, यह उपागम औपचारिक संरचनाओं जैसे कि संविधान, कानूनी व्यवस्थाओं, और प्रशासनिक विभागों पर केंद्रित था।
- **योगदान और सीमाएँ:**
 - **योगदान:** इसने विभिन्न देशों की प्रशासनिक संरचनाओं की तुलना के लिए एक शुरुआती वर्गीकरण ढाँचा प्रदान किया।
 - **सीमा:** यह उपागम गैर-पश्चिमी और विकासशील समाजों की अनौपचारिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और व्यवहारिक वास्तविकताओं की उपेक्षा करता था, जिससे सार्वभौमिक सिद्धांत का विकास सीमित रहा।

पारिस्थितिकीय उपागम

- **आधार:** फ्रेड डब्ल्यू रिग्ज (Fred W. Riggs) द्वारा प्रतिपादित, यह उपागम प्रशासन को उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ जोड़ता है।
- **योगदान:** रिग्ज के 'साला मॉडल' (Sala Model) ने प्रशासन के पर्यावरण-निर्भर व्यवहार को समझाकर तुलनात्मक लोक प्रशासन को अधिक प्रासंगिक बनाया। यह पश्चिमी-केंद्रित मॉडल से दूर चला गया।
- **सीमा:** मॉडल बहुत जटिल था और इसकी परिणामों की भविष्यवाणी (predictive power) कम थी, जिससे इसे सिद्ध करना कठिन था और यह एक ठोस सिद्धांत नहीं बन पाया।

राजनीतिक-आर्थिक प्रक्रिया उपागम

- **आधार:** यह उपागम राज्य और बाजार के संबंधों, वैश्वीकरण (Globalization), नव लोक प्रबंध (NPM) और नीति निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है।
- **योगदान:** इसने NPM, निजीकरण, और बाजार-उन्मुख सुधारों के तहत सार्वजनिक नीति की तुलना करने के लिए नए उपकरण दिए हैं।
- **सीमा:** यह उपागम भले ही समकालीन समस्याओं को समझाता है, लेकिन यह व्यापक सिद्धांत विकसित करने में विफल रहा है क्योंकि यह अत्यधिक संदर्भ-विशिष्ट (Context-Specific) है और स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा करता है।

विकास गतिशीलता

प्र. विकास प्रक्रिया में राज्य की भूमिका एवं उत्तरदायित्व को आवश्यकता से अधिक बल और अनावश्यक महत्व दिया गया है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: विकास प्रक्रिया में राज्य को अत्यधिक महत्व देना न्यूनतम राज्य सिद्धांत के आलोचकों का प्रमुख तर्क है, जिसकी वास्तविकता की आलोचनात्मक परीक्षा आवश्यक है।

- राज्य-केन्द्रित विकास मॉडल (वेलफेयर स्टेट, नेहरूवादी मॉडल, केन्द्रित योजना) को अनावश्यक बल देने की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है, किंतु यह आलोचना पूर्णतः उचित नहीं है:
- अत्यधिक केन्द्रीकरण की आलोचना: नव-उदारवादी विचारक (वॉशिंगटन कन्सेंसस, 1990 के सुधार) तर्क देते हैं कि राज्य की अधिक भूमिका नौकरशाही विस्तार, भ्रष्टाचार एवं अकुशलता को जन्म देती है → निजी क्षेत्र एवं बाजार को अधिक स्थान देने की मांग।
- वैश्वीकरण के दौर में न्यूनतम राज्य: WTO, FDI, PPP मॉडल में राज्य को केवल सुगमकर्ता (facilitator) माना गया, नियामक एवं प्रदाता नहीं।
- भारतीय संदर्भ में 1991 के बाद: योजना आयोग → नीति आयोग, डिसइन्वेस्टमेंट, GST जैसे कदम राज्य की प्रत्यक्ष भूमिका को कम करने के प्रमाण हैं।

किंतु इस आलोचना के विपरीत तथ्य यह हैं कि:

- बाजार विफलता (Market Failure): शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा में निजी क्षेत्र असफल रहा → राज्य की सक्रिय भूमिका अपरिहार्य (IGNOU MPA-014: Development Administration)।
- समावेशी विकास: मनरेगा, NRHM, PMJJBY, आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम केवल राज्य ही चला सकता है; निजी क्षेत्र लाभ-उन्मुख होता है।
- बाह्यताएं (Externalities) एवं सार्वजनिक वस्तुएं: पर्यावरण, रक्षा, न्याय व्यवस्था में राज्य का विकल्प नहीं।
- असमानता में वृद्धि: न्यूनतम राज्य मॉडल से जीनी गुणांक बढ़ा → राज्य को पुनर्वितरण (redistribution) की जिम्मेदारी आवश्यक।
- इसलिए राज्य की भूमिका को “अनावश्यक महत्व” कहना अतिशयोक्ति है; उसकी प्रकृति को नियामक → सुगमकर्ता → सक्षमकर्ता (enabler) में परिवर्तित करना समय की मांग है, न कि पूर्ण वापसी।

समावेशी एवं सतत विकास हेतु सक्षम, सुगमकर्ता एवं जवाबदेह राज्य की भूमिका भविष्य में और सुदृढ़ होगी।

प्र. महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिये केवल मात्र आर्थिक विकास ही पर्याप्त घटक नहीं है। विवेचना कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए केवल आर्थिक समृद्धि पर्याप्त नहीं है; इसके लिए सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। महिला विकास के लिए गैर-आर्थिक घटकों की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट है:

- सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाएँ, लिंग-आधारित रूढ़िवादिताएँ और घरेलू हिंसा, महिलाओं को उनके आर्थिक लाभों का पूर्ण उपयोग करने से रोकती हैं। केवल आय बढ़ने से ये मूलभूत सामाजिक दृष्टिकोण नहीं बदलते।
- शिक्षा और कौशल विकास: आय वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक है। ये घटक महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता और ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वे समाज और अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले पाती हैं।
- राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व: सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि महिलाओं को नीति निर्माण और प्रशासन में समान प्रतिनिधित्व मिले। स्थानीय शासन और विधायिकाओं में उनका सक्रिय होना उनके अधिकारों और आवश्यकताओं को सुनिश्चित करता है।
- स्वास्थ्य और पोषण: मातृ स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की उपेक्षा होने पर भी आर्थिक लाभ का कोई महत्व नहीं रहता। बीमार महिलाएँ उत्पादक नहीं हो सकतीं, भले ही उनके पास पैसा हो।
- कानूनी और सुरक्षात्मक ढाँचा: संपत्ति के अधिकार, विरासत के कानून और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा (जैसे विशाखा दिशानिर्देश) जैसे कानूनी सुधार आवश्यक हैं ताकि महिलाएं भयमुक्त होकर काम कर सकें और संपत्ति पर नियंत्रण रख सकें। महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का समग्र संयोजन अपरिहार्य है।

प्र. विकास-विरोधी थीसिस पारंपरिक विकास प्रतिमानों पर एक आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य है। टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: विकास-विरोधी थीसिस (Anti-Development Thesis) पारंपरिक विकास प्रतिमानों को चुनौती देती है। यह तर्क देती है कि मुख्यधारा के विकास मॉडल अक्सर शोषण, असमानता और पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ावा देते हैं, जिससे वास्तविक प्रगति के बजाय नए सामाजिक-आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं। यह परिप्रेक्ष्य उत्तर-विकास (Post-Development) सिद्धांत पर आधारित है, जो पश्चिमी-केंद्रित विकास दृष्टिकोण की आलोचना करता है।

कार्मिक प्रशासन

प्र. लोक सेवाओं में भर्ती के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में सकारात्मक कार्रवाई एक आधार स्तम्भ है। वैश्विक संदर्भ में इसका विश्लेषण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: लोक सेवाओं में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई एक नीतिगत आधार स्तम्भ है, जो ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व और समावेश को बढ़ावा देती है।

वैश्विक संदर्भ में सकारात्मक कार्रवाई (जिसे कुछ देशों में 'सकारात्मक भेदभाव' या 'आरक्षण' भी कहा जाता है) की भूमिका और कार्यान्वयन निम्नलिखित गैर-विवादास्पद बिंदुओं में विश्लेषित किया जा सकता है:

- ऐतिहासिक अन्याय का निवारण (Rectification of Historical Injustice):** सकारात्मक कार्रवाई का प्राथमिक उद्देश्य उन समूहों (जाति, लिंग, नस्ल आदि) को मुख्यधारा में लाना है जिन्हें सदियों से शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा गया है।
- उदाहरण:** भारत में अनुसूचित जातियों/जनजातियों (SC/ST) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए आरक्षण।
- प्रतिनिधि नौकरशाही का निर्माण (Creation of Representative Bureaucracy):** यह सिद्धांत मानता है कि यदि लोक सेवाएँ उस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं जिसकी वे सेवा करती हैं, तो वे कम प्रभावी और कम संवेदनशील होती हैं। सकारात्मक कार्रवाई सामाजिक विविधता को प्रशासनिक पदानुक्रम में प्रतिबिम्बित करती है।
- उदाहरण:** संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में अल्पसंख्यकों (Minorities) और महिलाओं के लिए समान रोजगार अवसर कार्यक्रम (Equal Employment Opportunity Programs)।
- नीति निर्माण की संवेदनशीलता में वृद्धि:** विभिन्न पृष्ठभूमियों के कर्मचारियों को शामिल करने से प्रशासन को विविध आवश्यकताओं और सामाजिक समस्याओं की बेहतर समझ होती है, जिससे नीतियों का निर्माण अधिक समावेशी और न्यायसंगत होता है।
- सामाजिक सामंजस्य और स्थिरता:** सार्वजनिक सेवाओं में वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ने से सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) को बढ़ावा मिलता है। यह शासन में जनता के विश्वास को बढ़ाता है और सामाजिक संघर्ष को कम करने में सहायक होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभाव:** संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) और भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ सदस्य

देशों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक उपाय अपनाने हेतु प्रेरित करती हैं।

- सकारात्मक कार्रवाई लोक सेवाओं को अधिक समावेशी, प्रतिनिधि और न्यायसंगत बनाने की वैश्विक अनिवार्यता है, जो भविष्य में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु एक सशक्त उपकरण बनी रहेगी।

प्र. सिविल सेवाओं के मूल्यों एवं नैतिकता को वैश्विक प्रथाएँ और प्रवृत्तियाँ स्वरूपित करती हैं। व्याख्या कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: सिविल सेवाओं के मूल्य और नैतिकता विश्वभर की प्रथाओं एवं आधुनिक प्रवृत्तियों द्वारा स्वरूपित होकर प्रशासन की गुणवत्ता बढ़ाते हैं।

सिविल सेवाओं के मूल्यों और नैतिकता को स्वरूपित करने वाली प्रमुख वैश्विक प्रथाएँ और प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं:

वैश्विक प्रथाएँ

- पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता एवं सम्मान जैसे मूल्य सभी देशों के सिविल सेवाओं की आधारशिला हैं।
- भ्रष्टाचार विरोधी नीतियाँ और मानवाधिकारों का सम्मान वैश्विक स्तर पर सिविल सेवाओं की नैतिकता को नियंत्रित करते हैं।

आधुनिक प्रवृत्तियाँ

- डिजिटल तकनीक, खुला शासन, और सूचना का त्वरित आदान-प्रदान नैतिकता की निगरानी और सुधार को संभव बनाते हैं।
- वैश्विक सहयोग से प्रशासनिक सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाई जाती हैं, जिससे सिविल सेवाएँ अधिक कुशल और जवाबदेह बनती हैं।

स्थानीय एवं वैश्विक सहयोग

- वैश्विक मानकों के समन्वय से स्थानीय संस्कृति और प्रशासन में नैतिकता की प्रासंगिकता बनी रहती है।
- यह समावेशी और उत्तरदायी प्रशासन को सुनिश्चित करता है। वैश्विक प्रथाएँ सिविल सेवाओं की नैतिकता को मजबूत करती हैं, जो भविष्य में अधिक समावेशी प्रशासन की ओर ले जाएंगी।

प्र. क्या क्षमता मानचित्रण को सिविल सेवकों के जीवनवृत्ति विकास के साथ जोड़ना प्रभावी सेवा प्रदायगी के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित कर सकता है? विस्तार से व्याख्या कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

सार्वजनिक नीति

प्र. नीति निर्माण प्रक्रिया में ज्ञान के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपलब्ध ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: नीति निर्माण में उपलब्ध ज्ञान (Tacit Knowledge) एवं व्यक्तिगत अनुभव औपचारिक डेटा से अधिक संदर्भ-संवेदी, व्यावहारिक एवं मानवीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

उपलब्ध ज्ञान (Michael Polanyi) वह गैर-सहिताबद्ध, अनुभव-आधारित ज्ञान है जो “हम जानते हैं उससे अधिक जो हम बता सकते हैं” के रूप में व्यक्त होता है। नीति निर्माण में इसका मूल्यांकन निम्नलिखित है :

- **संदर्भ-विशेष अंतर्दृष्टि:** सीनियर नौकरशाहों, क्षेत्रीय अधिकारियों एवं स्थानीय प्रशासकों का वर्षों का अनुभव लिखित रिपोर्टों में नहीं आता, किंतु नीति की व्यावहारिकता तय करता है (उदा: मनरेगा डिजाइन में बिहार-राजस्थान के DMs का अनुभव)।
- **जटिल समस्याओं का समाधान:** गरीबी, प्रवासन, जलवायु परिवर्तन जैसी विकट समस्याओं में डेटा अकेला अपर्याप्त; अनुभव-आधारित अंतर्ज्ञान रचनात्मक समाधान देता है।
- **नीति हस्तांतरण में भूमिका:** “बेस्ट प्रैक्टिस” केवल दस्तावेज से नहीं, बल्कि अनुभव साझा करने वालों के उपलब्ध ज्ञान से सफलतापूर्वक हस्तांतरित होती है (केरल का स्वास्थ्य मॉडल → अन्य राज्य)।
- **नागरिक-केन्द्रित नीति:** फील्ड अधिकारियों का कमजोर वर्गों के साथ दैनिक संवाद औपचारिक सर्वे से अधिक विश्वसनीय फीडबैक देता है (उदा: PMJANMAN योजना में आदिवासी अनुभव)।
- **सीमाएँ एवं समाधान:** व्यक्तिपरकता, पूर्वाग्रह की संभावना → समाधान: समाधान: नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, आफ्टर-एक्शन रिव्यू, कम्प्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, स्टोरी-टेलिंग सेशन, मेंटरिंग, iGOT-कर्मयोगी में टैसिट नॉलेज कैप्चरिंग मॉड्यूल।
- अतः उपलब्ध ज्ञान नीति को “तकनीकी रूप से सही” से “सामाजिक रूप से प्रासंगिक एवं कार्यान्वयन योग्य” बनाता है। भविष्य में डिजिटल ज्ञान-प्रबंधन मंच, अनुभव-कथन सत्र एवं अंतर-पीढ़ीगत मेंटरिंग के द्वारा उपलब्ध ज्ञान को संस्थागत बनाकर नीति निर्माण को अधिक समावेशी, संवेदनशील एवं प्रभावी बनाया जा सकेगा।

प्र. यदि संभावित परिणामों और वैकल्पिक संभाव्य नीतियों की उपेक्षा की जाती है तो नीति विश्लेषण प्रक्रिया सीमित हो जाती है। विवेचना कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: नीति विश्लेषण की प्रक्रिया सीमित हो जाती है जब विश्लेषक संभावित परिणामों और वैकल्पिक संभाव्य नीतियों की उपेक्षा करता है, जिससे निर्णय-निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

नीति विश्लेषण प्रक्रिया की सीमाएँ और वैकल्पिक विचारों की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट है:

- **समग्रता का अभाव :** केवल एक नीति विकल्प पर ध्यान केंद्रित करने से विश्लेषक अन्य नवीन और प्रभावी रणनीतियों पर विचार नहीं कर पाता, जिससे समाधान संकीर्ण रह जाता है।
 - **असंतोषजनक परिणामों का जोखिम:** नीति विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य सबसे इष्टतम नीति का चयन करना है। यदि संभावित परिणामों का पूर्वानुमान और मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो चुनी गई नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल हो सकती है या अवांछित नकारात्मक परिणाम दे सकती है।
 - **सीमित औचित्य:** वैकल्पिक नीतियों की उपेक्षा से यह सिद्ध करना कठिन हो जाता है कि चयनित नीति वास्तव में सर्वश्रेष्ठ क्यों है। नीति विश्लेषण को तुलनात्मक लाभ सिद्ध करने के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्पों की आवश्यकता होती है।
 - **संसाधन दक्षता पर प्रभाव:** परिणामों के आकलन के अभाव में, नीति में लगने वाले संसाधनों (समय, धन, जनशक्ति) की लागत-प्रभावशीलता का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता।
 - **अनिश्चितता को अनदेखा करना:** वैकल्पिक परिदृश्यों का विश्लेषण न करने से नीति भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होती।
- नीति विश्लेषण को समग्र और प्रभावी बनाने के लिए वैकल्पिक नीतियों और उनके दूरगामी परिणामों का विचार करना अनिवार्य है।

प्र. जब तक नीति मूल्यांकन के लिए कोई ठोस तंत्र नहीं होता, नीति निर्माण प्रक्रिया निरर्थक बनी रहती है। परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: लोक नीतियाँ सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और सुशासन को बेहतर बनाने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन यदि इनका मूल्यांकन करने के लिए कोई ठोस तंत्र नहीं हो, तो ये नीतियाँ अप्रभावी, अप्रासंगिक या विकास लक्ष्यों से भटकी हुई हो सकती हैं। नीति मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी हस्तक्षेप प्रमाण-आधारित, अनुकूलनीय और कुशल हों।

नीति मूल्यांकन की आवश्यकता

✓ नीति की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना

- मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कोई नीति अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर रही है या नहीं और इसमें सुधार की आवश्यकता कहाँ है।
- **उदाहरण:** स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन मूल्यांकन से पता चला कि व्यवहार परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता थी।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (द्वितीय प्रश्न पत्र)

भारतीय प्रशासन का विकास

प्र. कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अर्थ लोगों की आजीविका के अर्थशास्त्र का विज्ञान है। टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य की आर्थिक व्यवस्था का विज्ञान है जो लोगों की आजीविका और समृद्धि पर केंद्रित है।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत की प्रशासनिक और आर्थिक विचारधारा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें 'अर्थ' का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि लोगों की आजीविका का आधारभूत विज्ञान है। यह राज्य को लोगों की भलाई के लिए निम्न आर्थिक नीतियों का माध्यम मानता है:

- राज्य की भूमिका:** कौटिल्य राज्य को 'प्रजा' की आजीविका सुनिश्चित करने वाला मानते हैं, जहां अर्थशास्त्र कर संग्रह, कृषि उन्नति और व्यापार नियंत्रण से लोगों की समृद्धि बढ़ाता है।
- आर्थिक तंत्र:** ग्रंथ में वर्णित सात अंगों (स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र) में कोष (खजाना) लोगों की आजीविका का केंद्र है, जो कृषि, उद्योग और व्यापार पर आधारित है।
- समाज कल्याण:** अर्थशास्त्र गरीबी उन्मूलन, कर न्याय और संसाधन वितरण पर जोर देता है, जो लोगों की आजीविका को स्थिर बनाता है, बिना किसी विवादास्पद तत्व के।
- प्रशासनिक दृष्टि:** यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है, जहां अर्थनीति लोगों की आवश्यकताओं (भोजन, आवास, सुरक्षा) को प्राथमिकता देती है।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधुनिक लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र का एक प्राचीन संश्लेषण है, जो कल्याणकारी राज्य और जन-केंद्रित आजीविका के सिद्धांतों पर आधारित है।

प्र. "स्वतंत्र भारत में औपनिवेशिक विरासत विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं हेतु उत्तरदायी है क्योंकि कम्पनी अधिकारियों और व्यापारियों ने दण्डनायकों, राज्यपालों और लोक सेवकों की भूमिका का रूप ले लिया।" विश्लेषण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: स्वतंत्र भारत की कई प्रशासनिक समस्याओं के मूल में औपनिवेशिक विरासत है, जहाँ कम्पनी के अधिकारियों का रूपांतरण दण्डनायकों और शक्ति-केंद्रित लोक सेवकों के रूप में हुआ।

औपनिवेशिक विरासत किस प्रकार स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, इसका विश्लेषण निम्नलिखित है:

'मालिक-सेवक' मानसिकता

- ब्रिटिश काल में, प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य जन कल्याण नहीं, बल्कि राजस्व संग्रह और साम्राज्य की रक्षा था। कम्पनी के एजेंटों ने खुद को 'शासक' माना।
- यह मानसिकता स्वतंत्र भारत में भी सिविल सेवकों में बनी रही, जिससे वे जनता के सेवक बनने के बजाय सत्तावादी बने रहे, जिससे जन-प्रशासन में दूरी और असंवेदनशीलता पैदा हुई।

अधिकार और शक्ति का एकाग्रता

- जिला कलेक्टर का पद राजस्व, मजिस्ट्रेट और विकास की शक्तियों का एकीकरण था, जो कम्पनी के व्यापारी-प्रशासक की भूमिका से विकसित हुआ।
- यह शक्ति का एकाग्रता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लक्ष्य को बाधित करता है और जवाबदेही को जटिल बनाता है, जिससे शक्ति का दुरुपयोग संभव होता है।

प्रशासनिक गोपनीयता और पदानुक्रम

- औपनिवेशिक प्रशासन गोपनीयता और कठोर पदानुक्रम पर आधारित था, जिसे जनता को नियंत्रण में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह विरासत सूचना के अधिकार (RTI) जैसे पारदर्शिता के साधनों के बावजूद संगठनात्मक संस्कृति में बनी रही है, जिससे प्रशासनिक सुधारों को अपनाने में प्रतिरोध होता है।

नियम-केंद्रित नौकरशाही

- औपनिवेशिक प्रणाली नियमों और प्रक्रियाओं पर अत्यधिक केंद्रित थी ताकि एक गैर-जिम्मेदार प्रशासन को चलाया जा सके।
- यह प्रवृत्ति स्वतंत्रता के बाद भी बनी रही, जिसके परिणामस्वरूप सिविल सेवक सृजनात्मकता और परिणाम-उन्मुखता के बजाय नियमों के अक्षरशः पालन को प्राथमिकता देते हैं, जिससे विलंब और लालफीताशाही बढ़ती है।
- औपनिवेशिक विरासत ने असंवेदनशील, नियम-बद्ध और शक्ति-केंद्रित प्रशासन को जन्म दिया है। मिशन कर्मयोगी जैसे कार्यक्रम सिविल सेवकों में नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और सहयोगी भावना का निर्माण करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे।

प्र. "लोक सेवाओं में नैतिकता कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य सरोकार रहा है।" इस कथन का परीक्षण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

सरकार के दार्शनिक और संवैधानिक ढांचे

प्र. भारत में लिंग समानता को बढ़ावा देने हेतु संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक अंतःक्षेप का वर्णन कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: भारत का संविधान लिंग समानता को एक मौलिक अधिकार मानता है, जिसे न्यायिक सक्रियता के माध्यम से प्रशासनिक व्यवहार में लगातार मजबूत किया गया है। भारत में लिंग समानता को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक हस्तक्षेप निम्नलिखित हैं: संवैधानिक प्रावधान

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14):** यह विधि के समक्ष सभी नागरिकों को समान मानता है और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15):** यह विशेष रूप से धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, और राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है (सकारात्मक भेदभाव का आधार)।
- सार्वजनिक रोजगार में समानता (अनुच्छेद 16):** यह राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है।
- नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 39(a) और 39(d)):** ये राज्य को निर्देश देते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के लिए पर्याप्त आजीविका के साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए।

न्यायिक हस्तक्षेप

- विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997):** सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा दिशानिर्देश जारी किए। यह अनुच्छेद 14, 15 और 21 (जीवन का अधिकार) के तहत महिलाओं के कार्य के अधिकार को प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक हस्तक्षेप था।
- एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा (1981):** न्यायालय ने एयर इंडिया के उन नियमों को मनमाना घोषित किया जो विवाहित होने पर या पहली गर्भावस्था पर एयर होस्टेस को सेवा से बर्खास्त करने की अनुमति देते थे, जिससे रोजगार में लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया गया।
- सी.बी. मुथम्मा बनाम भारत संघ (1979):** न्यायालय ने भारतीय विदेश सेवा (IFS) के उन नियमों को रद्द किया जो महिला अधिकारियों को विवाह के बाद इस्तीफा देने की आवश्यकता थी, जिससे सिविल सेवाओं में लैंगिक समानता को मजबूत किया गया।

- संवैधानिक गारंटी और न्यायिक सक्रियता ने लिंग समानता को भारत में केवल कानूनी सिद्धांत नहीं, बल्कि प्रशासनिक अनिवार्यता बना दिया है, जिससे भविष्य में समावेशी और न्यायपूर्ण लोक प्रशासन की दिशा सुनिश्चित होगी।

प्र. यद्यपि संविधान विकेंद्रित और उत्तरदायी सरकार का शक्तिशाली ढाँचा प्रदान करता है, किन्तु वास्तविक परीक्षण इस पर निर्भर करता है कि संस्थाएँ, नागरिक समाज और जनता कैसे संवैधानिक मूल्यों को आचरण में बनाए रखती हैं। परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: संविधान विकेंद्रीकृत और उत्तरदायी शासन का मजबूत ढाँचा प्रदान करता है, लेकिन इसकी सफलता संस्थाओं, नागरिक समाज और जनता द्वारा संवैधानिक मूल्यों के व्यावहारिक आचरण पर निर्भर करती है।

- विकेंद्रीकृत और उत्तरदायी शासन की सफलता में संस्थाओं, नागरिक समाज और जनता द्वारा संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का महत्व निम्नलिखित है:

संस्थाओं की भूमिका

- मूल्यों का व्यावहारिकता:** विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को कानून के शासन, निष्पक्षता और समानता के संवैधानिक मूल्यों को केवल औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि अपने दैनिक कार्यों और निर्णय-निर्माण में बनाए रखना चाहिए।
- उदाहरण:** कार्यपालिका द्वारा राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना और मनमानी कार्रवाई से बचना।
- जवाबदेही तंत्र:** नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके।

नागरिक समाज की भूमिका

- निगरानी और सक्रियता:** नागरिक समाज संगठनों को सामाजिक न्याय, समानता और भागीदारी के संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के कार्यों की निगरानी करनी चाहिए और सक्रिय रूप से पैरवी (Advocacy) करनी चाहिए।
- उदाहरण:** सामाजिक ऑडिट और सूचना के अधिकार (RTI) का उपयोग कर प्रशासन में पारदर्शिता लाना।
- समावेशी सहभागिता:** नागरिक समाज संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वंचित और हाशिए पर पड़े समूहों की आवाज शासन की प्रक्रियाओं में सुनी जाए, जिससे लोकतंत्र की समावेशिता का मूल्य मजबूत हो।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

प्र. भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने लोक उद्यमों को अपनी कुशलता को बढ़ाने पर विवश किया है, किन्तु इन सुधारों का प्रभाव वाद-विवाद का विषय बना हुआ है। विश्लेषण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने लोक उद्यमों (PSUs) को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के सामने खड़ा कर कुशलता बढ़ाने हेतु बाध्य किया, किन्तु सुधारों के परिणाम अभी भी बहस के विषय हैं। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण (LPG) नीति ने लोक उद्यमों पर निम्नलिखित प्रभाव डाले:

सकारात्मक प्रभाव

- नवरत्न, मिनीरत्न एवं महारत्न स्थिति प्रदान कर स्वायत्तता बढ़ी → ONGC, SAIL, NTPC ने लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि की।
- MoU प्रणाली, डिसइन्वेस्टमेंट एवं पेशेवर प्रबन्धन से कार्य-निष्पादन में सुधार।
- प्रतिस्पर्धी मूल्य-निर्धारण, तकनीकी उन्नयन एवं बाजार-केन्द्रित उत्पादन को बढ़ावा।
- वित्तीय अनुशासन (Disinvestment Policy 2021) से पूँजी का बेहतर उपयोग।

नकारात्मक/चिन्ताजनक प्रभाव

- रणनीतिक विनिवेश (BPCL, Air India) से राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामाजिक उद्देश्यों पर प्रश्नचिह्न।
- लाभकारी इकाइयों के निजीकरण से सरकारी राजस्व में दीर्घकालिक हानि की आशंका।
- कर्मचारी छूटनी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं श्रमिक-असंतोष की स्थिति उत्पन्न।
- ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में स्थित इकाइयों (ITDC होटल, HMT) का बंद होना → क्षेत्रीय असंतुलन।
- इस प्रकार सुधारों ने कुशलता तो बढ़ाई, किन्तु सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्रीय हितों के संरक्षण की निरंतर आवश्यकता बनी हुई है।
- आगामी रणनीतिक विनिवेश नीति एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधारों से लोक उद्यम कुशल, प्रतिस्पर्धी एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनकर आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएँगे।

प्र. “सार्वजनिक उपक्रमों को स्वायत्तता एक मिथक है।” विश्लेषण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की स्थापना आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और परिचालन स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। हालाँकि, वास्तविकता में इनकी स्वायत्तता अक्सर सरकार के अत्यधिक नियंत्रण, राजनीतिक हस्तक्षेप और नौकरशाही बाधाओं

के कारण सीमित हो जाती है। इसके प्रमुख पहलुओं की विवेचना निम्नलिखित है:

- सरकारी नियंत्रण और राजनीतिक हस्तक्षेप:** सार्वजनिक उपक्रमों को स्वायत्तता दिये जाने के बावजूद वे सरकार के प्रभाव में बने रहते हैं, जो नियुक्तियों, नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, ONGC और SAIL जैसे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, जिससे इनकी स्वतंत्र कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।
- नौकरशाही बाधाएं और नियामक नियंत्रण:** सार्वजनिक उपक्रम कठोर वित्तीय और प्रशासनिक नियमों के अधीन होते हैं, जिससे उनकी परिचालनिक लोचशीलता सीमित हो जाती है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक उपक्रमों को सामान्य वित्तीय नियम (GFR) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के दिशानिर्देशों का पालन करना होता है, जिससे उनकी निर्णय लेने की गति निजी कंपनियों की तुलना में धीमी हो जाती है।
- वित्तीय रूप से सरकार पर निर्भरता:** कई सार्वजनिक उपक्रम सरकारी सब्सिडी और बजटीय सहायता पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता सीमित हो जाती है। उदाहरण के लिए, निजीकरण से पहले एयर इंडिया को सरकारी राहत पैकेजों पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे उसकी परिचालन क्षमता प्रभावित हुई।
- प्रतिस्पर्धात्मक निर्णय लेने की कमी:** निजी कंपनियों की तुलना में, सार्वजनिक उपक्रमों को सरकारी लेखा परीक्षा और खरीद नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे प्रक्रियात्मक देरी होती है। उदाहरण के लिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को नौकरशाही अनुमोदनों के कारण विमानों के उत्पादन में देरी का सामना करना पड़ा।

निष्कर्ष

सैद्धांतिक रूप से सार्वजनिक उपक्रमों को स्वायत्तता प्रदान की गई है, लेकिन सरकारी नियंत्रण, नौकरशाही प्रक्रियाओं और वित्तीय निर्भरता के कारण उनकी स्वतंत्रता सीमित रहती है। वास्तविक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए पेशेवर प्रबंधन, विनिवेश (disinvestment) और सरकारी हस्तक्षेप में कमी जैसी सुधार नीतियों की आवश्यकता है।

प्र. भारत में सार्वजनिक उपक्रम कई दशकों तक कल्याणवाद का आधार रहे हैं। विनिवेश के वर्तमान परिदृश्य के पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) भारत में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण का एक प्रमुख आधार रहे हैं। हालाँकि, हालिया विनिवेश नीतियों को लेकर आर्थिक दक्षता, वित्तीय स्थिरता और सामाजिक समावेशन के संदर्भ में बहस छिड़ी हुई है।

केंद्र सरकार और प्रशासन

प्र. मनरेगा और स्वच्छ भारत अभियान जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संवृद्धि लाने में क्षेत्र संगठनों के महत्त्व का परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा (MGNREGA) और स्वच्छ भारत अभियान जैसी परियोजनाओं की सफलता के लिए क्षेत्र संगठन (जैसे जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर के कार्यालय) जमीनी स्तर पर संपर्क और क्रियान्वयन की मुख्य धुरी होते हैं। मनरेगा (MGNREGA) और स्वच्छ भारत अभियान (SBA) के क्रियान्वयन में क्षेत्र संगठनों का महत्त्व निम्नलिखित है:

- **स्थानीय अनुकूलन:** क्षेत्र संगठन केंद्रीय नीतियों को स्थानीय भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते हैं। उदाहरण के लिए, SBA के तहत शौचालयों का डिजाइन या MGNREGA के तहत जल संचयन संरचनाओं का निर्माण स्थानीय जलवायु के अनुसार होता है।
- **प्रत्यक्ष संपर्क और लामबंदी (Direct Contact and Mobilization):** वे सीधे लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित करते हैं। MGNREGA में जॉब कार्ड वितरण और स्वच्छ भारत अभियान में समुदाय की भागीदारी (Community Mobilization) सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों और ब्लॉक विकास अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- **संसाधन वितरण और निगरानी:** क्षेत्र संगठन धन, सामग्री और जनशक्ति को कुशलतापूर्वक वितरित करते हैं। वे कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखते हैं और वास्तविक समय की चुनौतियों की रिपोर्ट उच्च स्तर के अधिकारियों को भेजते हैं, जिससे विलंब कम होता है।
- **जवाबदेही का केंद्र:** स्थानीय स्तर पर, क्षेत्र संगठन सूचना का अधिकार (RTI) और सामाजिक ऑडिट जैसी प्रणालियों के माध्यम से नागरिकों के प्रति सीधे जवाबदेह होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और परियोजनाओं की प्रभावकारिता में सुधार होता है।
- **एकीकृत प्रदायगी:** जिला और ब्लॉक स्तर पर, विभिन्न सरकारी विभागों (जैसे ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वास्थ्य) के कार्यों का समन्वय होता है, जो MGNREGA के तहत सम्पत्ति निर्माण और SBA के तहत व्यवहार परिवर्तन के लिए आवश्यक है।
- क्षेत्र संगठन जमीनी स्तर पर संवृद्धि के लिए अपरिहार्य हैं, जो लोकतांत्रिक भागीदारी और कल्याणकारी योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करते हैं।

प्र. “यह लोगों का प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) होना चाहिए, यह प्रधानमंत्री का पी.एम. ओ. नहीं हो सकता।” टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) भारत में कार्यपालिका की प्रशासनिक धुरी है। यह शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अत्यधिक केंद्रीकरण को लेकर चिंताएं उठती हैं कि क्या यह कार्यालय वास्तव में जनता की सेवा करता है या केवल प्रधानमंत्री के अधिकारों का विस्तार मात्र बनकर रह जाता है।

- **लोकतांत्रिक शासन में भूमिका:** “जनता का पी.एम.ओ.” लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखकर पारदर्शिता और नागरिकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, न कि केवल सत्ता का केंद्र बनना चाहिए। उदाहरण के लिए, MyGov पहल नागरिकों को सीधे शासन से जोड़ती है, जिससे सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है।
- **नौकरशाही केंद्रीकरण और मंत्रिमंडल की हाशिए पर उपस्थिति:** निर्णय लेने में पी.एम.ओ. की बढ़ती भूमिका कई बार मंत्रालयों और कैबिनेट सचिवालय को हाशिए पर डाल देती है, जिससे सामूहिक उत्तरदायित्व प्रभावित होता है।
 - उदाहरण के लिए, 2014 में योजना आयोग का पुनर्गठन कर नीति आयोग बनाने का निर्णय मुख्य रूप से पी.एम.ओ.-केंद्रित पहल थी, जिसने राज्यों की योजना निर्माण में भूमिका को कम कर दिया।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता:** पी.एम.ओ. को संसदीय निगरानी और सार्वजनिक जांच के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उदाहरण के लिए, सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम, 2005 पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, लेकिन पी.एम.ओ. कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूर्ण खुलासा करने से बचता रहा है।
- **जन-केंद्रित नीति निर्माण:** नीतियां प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत दृष्टिकोण के बजाय सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दें।
 - उदाहरण के लिए, पीएम केयर्स फंड के कोष आवंटन में पारदर्शिता की कमी के कारण इसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिससे अधिक सार्वजनिक जवाबदेही की आवश्यकता उजागर हुई।
- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण बनाम व्यक्तिगत अधिकार:** एक मजबूत लोकतंत्र के लिए संस्थागत संतुलन आवश्यक है, न कि केवल पी.एम.ओ. पर अत्यधिक निर्भरता। उदाहरण के लिए, 1990-2000 के दशक के गठबंधन सरकारों के दौर में सत्ता विभिन्न मंत्रालयों में वितरित थी, जिससे अति-केंद्रीकरण को रोका गया। एक वास्तविक लोकतांत्रिक पी.एम.ओ. को एक व्यक्ति विशेष के अधिकार का साधन बनने के बजाय जनता की सेवा करने वाला संस्थान होना चाहिए। पारदर्शिता, संसदीय निगरानी और संस्थागत संतुलन को मजबूत करके इसे “जनता का पी.एम.ओ.” बनाया जा सकता है।

योजनाएं और प्राथमिकताएं

प्र. नीति आयोग के सीमित प्रभाव के कारणों को अंकित कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: नीति आयोग को सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और रणनीतिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन इसके प्रभाव सीमित रहे हैं। नीति आयोग की सीमित प्रभावशीलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

वित्तीय शक्तियाँ का अभाव

- नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया, लेकिन इसे वित्तीय संसाधन आवंटित करने की शक्ति नहीं दी गई है। यह केवल एक सलाहकार निकाय है।
- इस शक्ति के अभाव में, राज्यों के लिए आयोग की सिफारिशों को अनिवार्य रूप से लागू करने का कोई मजबूत प्रोत्साहन नहीं होता, जिससे इसके सुझावों का प्रभाव कम हो जाता है।

अपर्याप्त जनादेश और अस्पष्ट भूमिका

- कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आयोग के पास अत्यधिक व्यापक जनादेश है, जिससे यह फोकस (Focus) खो देता है। यह नीति निर्माण के साथ-साथ कार्यान्वयन और निगरानी में भी शामिल होने का प्रयास करता है, जिससे इसकी विशेषज्ञता कमजोर होती है।

ओवरलैप और संस्थागत प्रतिरोध

- कई मायनों में, नीति आयोग के कुछ कार्य अन्य मंत्रालयों और सरकारी विभागों के साथ ओवरलैप करते हैं। इससे संस्थागत प्रतिरोध (Institutional Resistance) पैदा होता है और समन्वय की कमी के कारण इसकी सलाह को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता।

नीति क्रियान्वयन की कमी

- आयोग का मुख्य ध्यान नीतिगत ढाँचे (Policy Framework) के निर्माण पर रहता है, लेकिन इसकी सलाह को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की प्रभावी प्रणाली का अभाव है। नीति केवल सुझावों तक सीमित रह जाती है, और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अन्य संस्थाओं पर आ जाती है।

सतत मूल्यांकन का अभाव

- हालांकि आयोग ने मॉनिटरिंग और मूल्यांकन पर जोर दिया है, लेकिन इसके द्वारा तैयार किए गए प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) और सूचकांकों का सरकारों द्वारा सतत और कठोर उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पाया है।
- नीति आयोग के सीमित प्रभाव को दूर करने के लिए, इसे रणनीतिक विशेषज्ञता को बनाए रखते हुए, राज्यों के साथ भागीदारी को मजबूत करने और वित्तीय अनुशांसा की कुछ अप्रत्यक्ष शक्तियों से लैस करना भविष्य के लिए आवश्यक होगा।

प्र. भारत में विकेन्द्रित नियोजन, संदर्भ-संवेदनशील विकास की ओर बदलाव दर्शाता है, परन्तु सीमित संसाधन और स्थानीय राजनीति सामाजिक न्याय लक्ष्यों की प्राप्ति को जटिल बनाते हैं। टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: भारत में विकेन्द्रित नियोजन स्थानीय आवश्यकताओं व संदर्भों को केंद्र में रखकर विकास की दिशा तय करता है, किंतु संसाधन-घाटा और स्थानीय राजनीति इसकी प्रभावशीलता सीमित कर देते हैं।

1. संदर्भ-संवेदनशील विकास की ओर सकारात्मक बदलाव

- पंचायतों/राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से योजनाएँ अब स्थानीय आवश्यकताओं-जल, कृषि, आवास, स्वास्थ्य-के अनुसार बनाई जाती हैं।
- ग्राम सभा, SHG, CBO की भागीदारी से समावेशी निर्णय, समुदाय आधारित निगरानी और पारदर्शिता बढ़ती है।
- क्षेत्रीय विविधता-हिमालयी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र-की विशिष्ट आवश्यकताओं को योजना में समाहित करना अब सहज हुआ है।

2. सामाजिक न्याय लक्ष्यों में बाधाएँ

- ग्राम व ब्लॉक स्तर पर संसाधनों की कमी, तकनीकी दक्षता का अभाव, डाटा-क्षमता सीमित होने से योजनाएँ पूर्ण प्रभाव नहीं दे पातीं।
- स्थानीय राजनीति, हित समूहों का प्रभाव, पक्षपात और कमजोर सामाजिक लेखा-परीक्षा लाभों के समान वितरण को कमजोर करते हैं।
- कमजोर संस्थागत समन्वय से SC/ST, महिला, वृद्ध और हाशिए के समुदायों के लिए लक्षित योजनाएँ अपेक्षित परिणाम नहीं देतीं।

विकेंद्रीकृत योजना: अवसर और चुनौतियाँ

- मजबूत क्षमता-निर्माण, पारदर्शी संस्थान और संसाधन-सुदृढ़ीकरण विकेन्द्रित नियोजन को सामाजिक न्याय आधारित विकास का प्रभावी साधन बना सकते हैं।

प्र. नीति आयोग का राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफॉर्म (एन. डी. ए. पी.) विकास में प्रजातंत्रीकरण एवं समावेशिता को प्रोत्साहित करने के लिये मजबूत पारिस्थितिक तंत्र को स्थापित करता है। विवेचना कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफॉर्म (NDAP) एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी डेटा तक खुली और विश्वसनीय पहुंच प्रदान करना है। यह पारदर्शिता बढ़ाने, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को

राज्य सरकार और प्रशासन

प्र. विषयों के विभाजन के बावजूद, केन्द्रीय सरकार राज्य एवं समवर्ती सूची के विषयों पर भी अपना योगदान देती है। राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में इसके लाभ और हानि पर चर्चा कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: संविधान की सातवीं अनुसूची में विषयों के स्पष्ट विभाजन के बावजूद, केन्द्र सरकार राज्य एवं समवर्ती सूची के विषयों पर वित्तीय सहायता देती है, जो राजकोषीय संघवाद का प्रमुख लक्षण है।

- अनुच्छेद 282 के तहत केन्द्र द्वारा केन्द्र-प्रायोजित योजनाएँ (CSS), वित्त आयोग अनुदान, GST कतिपय आदि के माध्यम से राज्य एवं समवर्ती सूची के विषयों (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस आदि) में योगदान किया जाता है।

लाभ

- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का एकसमान क्रियान्वयन (उदाहरण: आयुष्मान भारत, समग्र शिक्षा)
- क्षेत्रीय असमानता में कमी एवं न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों की गारंटी
- आपदा, महामारी जैसे संकट में त्वरित संसाधन उपलब्धता
- राज्यों की राजकोषीय क्षमता से परे बड़ी परियोजनाओं का वित्तपोषण (PMGSY, जल-जीवन मिशन)

सीमाएँ/हानियाँ

- राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप; योजना निर्माण में केन्द्र का अधिक प्रभाव
- एक आकार-फिट-सभी (one-size-fits-all) दृष्टिकोण से स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा
- निधि उपयोग पर अत्यधिक शर्तें एवं निगरानी से प्रशासनिक बोझ
- राज्यों की निर्भरता बढ़ती है, स्वयं के कर-राजस्व संग्रह में प्रेरणा कम होती है
- इस प्रकार यह योगदान सहकारी संघवाद को मजबूत करता है, परन्तु राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता को संरक्षित रखना भी आवश्यक है।
- नियोजित सुधारों एवं 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों से भारत सच्चा सहकारी एवं समन्वयात्मक राजकोषीय संघवाद स्थापित कर समावेशी, सशक्त एवं आत्मनिर्भर राज्यों के साथ विकसित भारत का निर्माण करेगा।

प्र. राज्य सचिवालय और निदेशालय की भूमिका के स्पष्ट सीमांकन के अभाव से नीति निर्माण व क्रियान्वयन में गंभीर परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: यह सत्य है कि राज्य सचिवालय और निदेशालय की भूमिकाओं के बीच स्पष्ट सीमांकन का अभाव नीति निर्माण और

क्रियान्वयन दोनों के लिए गंभीर प्रशासनिक और परिचालनगत परिणाम उत्पन्न करता है।

भूमिकाओं के अस्पष्ट सीमांकन के कारण नीति निर्माण और क्रियान्वयन पर पड़ने वाले गंभीर परिणाम निम्नलिखित हैं:

नीति निर्माण पर प्रभाव

- **दोहरी कमान और विलंब:** भूमिकाओं के अस्पष्ट होने पर, सचिवालय (नीति निर्माता) और निदेशालय (तकनीकी सलाहकार) दोनों एक ही क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगते हैं। इससे 'दोहरी कमान' की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में भ्रम और अनावश्यक विलंब होता है।
- **अव्यावहारिक नीतियाँ:** निदेशालय, जो जमीनी स्तर की वास्तविकताओं और तकनीकी विशेषज्ञता का केंद्र होता है, यदि उसकी भूमिका को सचिवालय द्वारा अनदेखा किया जाता है, तो सचिवालय द्वारा बनाई गई नीतियाँ अव्यावहारिक, अव्यावसायिक और जमीनी स्तर पर लागू करने में कठिन हो सकती हैं।
- **अनावश्यक नौकरशाहीकरण:** जब निदेशालय, जो कार्यान्वयन का दायित्व रखता है, नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, तो यह लालफीताशाही को बढ़ाता है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और जटिल बना देता है।

नीति क्रियान्वयन पर प्रभाव

- **जवाबदेही का क्षरण:** सीमांकन की कमी से यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि नीति की सफलता या विफलता के लिए कौन सी संस्था (सचिवालय या निदेशालय) जवाबदेह है। इससे जवाबदेही अस्पष्ट हो जाती है और कोई भी संस्था जिम्मेदारी नहीं लेती।
- **संसाधनों का अपव्यय:** भूमिकाओं के अतिव्यापी होने से अक्सर समान कार्यों की पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, एक ही डेटा को दो अलग-अलग संस्थाओं द्वारा एकत्र करना। इससे धन, समय और जनशक्ति जैसे दुर्लभ संसाधनों का अपव्यय होता है।
- **कार्मिकों का मनोबल:** कर्मचारियों को यह स्पष्ट नहीं होता कि उनका वास्तविक बॉस कौन है (प्रशासक या तकनीकी प्रमुख)। यह भ्रम अधीनस्थों के मनोबल और प्रेरणा को कम करता है, जिससे उनकी कार्यकुशलता घट जाती है।
- **सेवा प्रदायगी में गिरावट:** अंतिम रूप से, यह संगठनात्मक संघर्ष और भ्रम सेवा प्रदायगी (Service Delivery) की गुणवत्ता और गति को प्रभावित करता है, जिससे नागरिक असंतुष्ट होते हैं।
- सचिवालय और निदेशालय के बीच भूमिकाओं का स्पष्ट सीमांकन संगठनात्मक दक्षता, जवाबदेही और विशेषज्ञता के लिए अपरिहार्य है, जो भविष्य में सुदृढ़ नीति निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन की नींव रखता है।

स्वतंत्रता के बाद जिला प्रशासन

प्र. विभिन्न राज्यों का अनुभव दर्शाता है कि जिलों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुगमता की बजाय राजनैतिक लोक-लुभावन सुविधा से अधिक प्रेरित है। विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: राज्यों में जिलों का पुनर्गठन अक्सर राजनीतिक लोक-लुभावनवाद (वोट बैंक को संतुष्ट करने) और स्थानीय नेताओं की सुविधा से प्रेरित होता है, जो प्रशासनिक सुगमता के मूल उद्देश्य से भटक जाता है।

जिलों के पुनर्गठन के पीछे राजनैतिक लोक-लुभावन सुविधा की प्रेरणा निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होती है, जबकि प्रशासनिक सुगमता गौण हो जाती है:

राजनैतिक सुविधा की प्रेरणाएँ:

- **स्थानीय नेताओं की आकांक्षाएँ:** नए जिले बनाने की मांग प्रायः प्रमुख स्थानीय राजनेताओं द्वारा की जाती है, जिनका उद्देश्य अपने गृह नगर को जिला मुख्यालय बनाकर राजनैतिक प्रभुत्व और सरकारी संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाना होता है।
- **वोट बैंक की संतुष्टि:** नए जिले बनाने की घोषणाएँ जातीय, भाषाई या क्षेत्रीय समुदायों को संतुष्ट करने के लिए की जाती हैं, जिससे आगामी चुनावों में उस विशेष क्षेत्र का वोट बैंक सुरक्षित हो सके। यह जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करने का एक आसान तरीका बन जाता है।
- **संघर्ष और मांग प्रबंधन:** बड़े जन आंदोलनों और क्षेत्रीय असंतोष को शांत करने के लिए भी जिले बनाए जाते हैं, भले ही नए जिले वित्तीय या प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य न हों।

प्रशासनिक सुगमता की उपेक्षा

- **वित्तीय लागत:** छोटे और कई जिले बनाने से प्रशासनिक व्यय (नए मुख्यालय, कर्मचारियों, बुनियादी ढाँचे पर खर्च) में भारी वृद्धि होती है, जो अक्सर राजकोषीय दक्षता के प्रशासनिक सिद्धांत के विपरीत होता है।
- **कुशलता का अभाव:** बहुत छोटे जिले आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं हो पाते हैं और उनमें विशेषज्ञता की कमी होती है। कभी-कभी, संसाधनों के बँटवारे के कारण पुराने, स्थापित जिलों के कार्य भी बाधित हो जाते हैं।
- **तकनीकी मापदंडों की उपेक्षा:** पुनर्गठन में अक्सर जनसंख्या घनत्व, भौगोलिक आकार और परिवहन संपर्क जैसे प्रशासनिक और वैज्ञानिक मापदंडों को अनदेखा कर दिया जाता है, जिससे नए जिलों में भी पहुँच की समस्याएँ बनी रहती हैं।
- **कार्मिकों की कमी:** नए जिलों के लिए पर्याप्त वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों का तुरंत आवंटन करना कठिन होता है, जिससे प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रभावित होती है।

उदाहरण: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में जिलों का हालिया पुनर्गठन संभवतः राजनीतिक घोषणाओं से प्रेरित रहा है, जहाँ राजस्व और प्रशासनिक तर्क गौण हो गए थे। जिलों का पुनर्गठन एक अहम प्रशासनिक उपकरण है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए लोक-लुभावनवाद के बजाय वित्तीय व्यवहार्यता, प्रशासनिक दक्षता और वैज्ञानिक मापदंडों को आधार बनाना भविष्य के सुशासन के लिए अपरिहार्य है।

प्र. समकालीन समय में जिलाधीश को पदसोपान संरचना की अपेक्षा सामूहिक कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर : समकालीन समय में, जटिल समस्याओं और बहु-क्षेत्रीय कार्यों के कारण, जिलाधीश को पदानुक्रम बनाए रखते हुए सामूहिक कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।

जिलाधीश द्वारा पदानुक्रम की अपेक्षा सामूहिक कार्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता और औचित्य निम्नलिखित है:

- **जटिल समस्या समाधान:** आधुनिक जिला प्रशासन को स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था जैसी जटिल और परस्पर जुड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। ऐसी समस्याओं के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसे केवल सामूहिक कार्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि कठोर पदानुक्रम से।
- **सहयोग और समन्वय की आवश्यकता:** नव लोक शासन (NPG) के युग में, DC को विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), नागरिक समाज संगठनों (CSOs) और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित करना होता है। सामूहिक कार्य की संस्कृति इस नेटवर्क-आधारित शासन के लिए आधार तैयार करती है।
- **विकेंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण (Decentralization and Delegation):** 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति मिलने से, DC को अब एक अकेले निर्णय निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि टीम लीडर के रूप में काम करना होता है जो अधीनस्थों को शक्ति प्रदान (Empower) करता है।
- **प्रेरणा और नवप्रवर्तन (Motivation and Innovation):** सामूहिक कार्य का वातावरण कर्मचारियों में स्वामित्व की भावना (Sense of Ownership) और मनोबल बढ़ाता है। यह निचले स्तर के कर्मचारियों को नवप्रवर्तन और रचनात्मक समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो पदानुक्रम में संभव नहीं हैं।
- **पदानुक्रम की प्रासंगिकता:** हालाँकि सामूहिक कार्य महत्वपूर्ण है, पदानुक्रम कानूनी जवाबदेही, अनुशासन और संकट प्रबंधन के लिए अभी भी आवश्यक है। DC को इन दोनों के बीच सक्षम संतुलन स्थापित करना चाहिए: निर्णय-निर्माण में टीमवर्क, और कार्यान्वयन में स्पष्ट पदानुक्रम।

नागरिक सेवाएं

प्र. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, विषय-क्षेत्र और उद्देश्यों में भिन्न हैं। इनकी मुख्य भिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण दोनों ही मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण उपकरण हैं, लेकिन वे समय सीमा, उद्देश्य और प्रभाव के दायरे में मौलिक रूप से भिन्न हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के विषय-क्षेत्र और उद्देश्यों में मुख्य भिन्नताएँ निम्नलिखित हैं:

विशेषता	प्रशिक्षण	क्षमता निर्माण
विषय-क्षेत्र/ दायरा (Scope)	संकीर्ण और विशिष्ट: यह व्यक्तिगत स्तर पर केंद्रित होता है।	व्यापक और समग्र: यह व्यक्तिगत, संगठनात्मक और संस्थागत स्तरों पर केंद्रित होता है।
उद्देश्य (Objective)	किसी विशेष कार्य या कौशल में वर्तमान प्रदर्शन को सुधारना। जल्दी परिणाम प्राप्त करना।	दीर्घकालिक प्रभाव के लिए ज्ञान, कौशल, संरचनाओं और संबंधों को मजबूत करना।
समय सीमा (Time Horizon)	अल्पकालिक और तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित।	दीर्घकालिक और सतत विकास पर केंद्रित, एक प्रक्रिया है।
ध्यान केंद्रित (Focus)	‘क्या करना है’ पर केंद्रित: परिचालनगत और तकनीकी कौशल।	‘क्यों और कैसे करना है’ पर केंद्रित: नेतृत्व, रणनीतिक सोच और नीति-निर्माण क्षमता।
लक्ष्य (Goal)	कौशल अंतराल को भरना और कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाना।	संस्थागत प्रभावशीलता बढ़ाना और संगठन की अनुकूलन क्षमता विकसित करना।
उदाहरण (Example)	किसी अधिकारी को नए सॉफ्टवेयर (जैसे GeM) का उपयोग करने का प्रशिक्षण देना।	विकेंद्रीकृत शासन के लिए पंचायतों की नेतृत्व संरचनाओं और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना।

- संक्षेप में, प्रशिक्षण मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ‘उपकरण’ है, जबकि क्षमता निर्माण एक ‘रणनीति’ है जिसका उद्देश्य किसी संस्था को आत्मनिर्भर और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना है। यह अंतर लोक प्रशासन में मानव पूंजी निवेश के लिए योजना बनाने में महत्वपूर्ण है।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, एक साथ मिलकर, सार्वजनिक प्रशासन में अल्पकालिक दक्षता और दीर्घकालिक संस्थागत प्रभावशीलता दोनों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और सहयोगात्मक रणनीतियाँ हैं, जो सतत विकास के लिए आधार प्रदान करती हैं।

प्र. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) स्थानीय स्तर की समस्याओं का प्रभावी रूप से समाधान नहीं करती। अपने विचार प्रकट कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) स्थानीय स्तर की समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सीमित है, मुख्यतः परिचालनगत बाधाओं और विकेंद्रीकरण की कमी के कारण।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली द्वारा स्थानीय स्तर की समस्याओं को प्रभावी ढंग से समाधान न कर पाने के कारण निम्नलिखित हैं:

क्रियान्वयन में विकेंद्रीकरण का अभाव

- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली का डिजाइन केन्द्रीय और राज्य सचिवालय स्तर पर जवाबदेही और निगरानी पर केंद्रित है।
- स्थानीय स्तर (जिला, ब्लॉक, या पंचायत) पर शिकायत निवारण अधिकारी (GROs) के पास अक्सर पर्याप्त निर्णय लेने की शक्ति या संसाधन नहीं होते हैं।
- परिणामस्वरूप, स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों पर अत्यधिक निर्भरता बनी रहती है, जिससे प्रक्रिया में विलंब होता है।

शिकायत की प्रकृति और जटिलता

- स्थानीय स्तर की अधिकांश शिकायतें (जैसे जल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, भूमि विवाद) प्रशासनिक या सेवा प्रदायगी से संबंधित होती हैं, जिनका समाधान जमीनी स्तर पर समन्वय और मानव हस्तक्षेप की मांग करता है।
- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली जैसे प्लेटफॉर्म-आधारित समाधान अक्सर इन जटिल और बहु-क्षेत्रीय समस्याओं के बारीक पहलुओं को पकड़ने में विफल रहते हैं, क्योंकि वे केवल ‘समाधान’ (Resolved) या ‘निपटारा गया’ (Disposed) स्थिति को ट्रैक करते हैं।

डिजिटल विभाजन और जागरूकता की कमी

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट तक पहुँच कम है। कई लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं।
- इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को प्रणाली के उपयोग और समयबद्ध निवारण के प्रति प्रशिक्षित करने में भी संसाधनगत चुनौतियाँ हैं।

वित्तीय प्रबंधन

प्र. 'गिलोटिन' बजटीय प्रक्रिया को समय-सीमा पर पूर्ण करने में गति देती है। इस क्रियाविधि का मूल्यांकन कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: 'गिलोटिन' बजट प्रक्रिया की समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रिया है।

- भारत में बजट को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से पारित करना होता है। विस्तृत चर्चा के बाद भी शेष सभी मांगों एक साथ बिना चर्चा के पारित करने की प्रक्रिया को 'गिलोटिन' कहते हैं।
- इसके कई सकारात्मक पक्ष हैं और साथ ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं:

सकारात्मक पक्ष

- समयबद्धता सुनिश्चित करती है, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में धन उपलब्ध होता है।
- कार्यपालिका को अनावश्यक विलम्ब से बचाती है, प्रशासनिक सुचारुता बनी रहती है।
- अनिवार्य व्यय एवं नीतिगत मांगों पर फोकस बना रहता है।

सीमाएँ एवं आलोचना

- कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांगों पर विस्तृत संसदीय जाँच नहीं हो पाती।
- विधायी नियंत्रण कमजोर पड़ता है, वित्तीय जवाबदेही प्रभावित होती है।
- लोकतांत्रिक चर्चा का हास होता है।

सुधार के सुझाव

- विभाग-संबंधित स्थायी समितियों द्वारा पूर्व-परीक्षण को और प्रभावी बनाना।
- गिलोटिन से पहले अधिक मांगों को चर्चा के लिए चयनित करना।
- इस प्रकार गिलोटिन समय-प्रबंधन का व्यावहारिक उपकरण है किन्तु संसदीय नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता बनी रहती है।

समयबद्ध गिलोटिन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाकर भविष्य में वित्तीय लोकतंत्र को सशक्त किया जा सकता है।

प्र. बजट वह धुरी है, जिसके चारों ओर समूचा वित्तीय प्रशासन घूमता है। बजट के सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक पहलुओं की विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: बजट वास्तव में समूचे वित्तीय प्रशासन की धुरी है, क्योंकि यह न केवल राजकोषीय अनुशासन तय करता है, बल्कि इसके गहन सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक निहितार्थ भी हैं।

बजट के सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक पहलू निम्नलिखित हैं:

सामाजिक-आर्थिक पहलू

- **संसाधन आवंटन और प्राथमिकताएँ:** बजट सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है। यह निर्धारित करता है कि दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों को किन क्षेत्रों (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा, या रक्षा) में आवंटित किया जाएगा, जिससे विकास की दिशा तय होती है।
- **संवृद्धि और स्थिरता:** बजट राजकोषीय नीति का प्राथमिक साधन है। कर दरों को समायोजित करके (जैसे प्रगतिशील कराधान) और सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर या घटाकर, सरकार आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहित कर सकती है और मुद्रास्फीति जैसी आर्थिक अस्थिरताओं को नियंत्रित कर सकती है।
- **आय और धन का पुनर्वितरण:** बजट पुनर्वितरणात्मक न्याय का एक शक्तिशाली साधन है। गरीबों को सब्सिडी (जैसे खाद्य, उर्वरक) प्रदान करके और धनवानों पर उच्च कर लगाकर, सरकार आय असमानता को कम करने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।
- **सामाजिक क्षेत्र का विकास:** बजट यह सुनिश्चित करता है कि मानव पूंजी के विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान हों। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया गया धन सीधे मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे समाज का समग्र उत्थान होता है।

राजनैतिक पहलू

- **जवाबदेही और नियंत्रण:** बजट सरकार के वित्तीय प्रस्तावों पर विधायिका (संसद/विधानमंडल) को नियंत्रण प्रदान करता है। सरकार को प्रत्येक व्यय के लिए विधायिका की स्वीकृति लेनी होती है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- **नीति उपकरण:** बजट शासक दल की राजनैतिक विचारधारा और चुनाव घोषणापत्र का प्रतिबिंब होता है। सत्तारूढ़ दल बजट के माध्यम से अपने राजनैतिक वादों को वित्तीय रूप देता है, जिससे जनता के बीच लोकप्रियता और राजनैतिक विश्वसनीयता बनती है।
- **संघवाद का प्रदर्शन:** संघीय प्रणाली में, बजट केन्द्र-राज्य संबंधों को भी परिभाषित करता है, खासकर वित्तीय हस्तांतरण और केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से। बजट यह दर्शाता है कि सहकारी या प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना कितनी प्रबल है।

बजट एक साधारण वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक घोषणापत्र है जो प्रशासन की प्राथमिकताओं और शासन की प्रकृति को परिभाषित करता है, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही का केंद्रीय आधार है।

स्वतंत्रता के बाद से प्रशासनिक सुधार

प्र. सुशासन को प्रोत्साहित करने में सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना (GPR) की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना (GPR) सुशासन को प्रोत्साहित करने में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

GPR का उद्देश्य:

- यह सरकारी प्रक्रियाओं को सरल, त्वरित और उपयोगकर्ता-केंद्रित बनाकर दक्षता बढ़ाता है।
- अनावश्यक जटिलताओं और विलंब को समाप्त करने में सहायक होता है।

सुशासन में योगदान

- निर्णय लेने की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
- नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए सरकारी तंत्र को जवाबदेह बनाता है।
- भ्रष्टाचार, लालफीताशाही एवं असंगतता में कमी लाई जाती है।

तकनीकी एकीकरण

- ई-गवर्नेंस के साथ समेकित होकर सेवाओं का डिजिटल रूपांतरण करता है।
- इससे नागरिकों की भागीदारी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है।

चुनौतियाँ और समाधान

- परिवर्तन के दौरान कर्मचारियों का प्रशिक्षण और जागरूकता आवश्यक है।
- निरंतर सुधार एवं निगरानी से स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना सुशासन के स्तंभों को मजबूत करती है, जिससे प्रशासन अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और जनता केन्द्रित बनता है।

प्र. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के क्रियान्वयन में चुनौतियों और विवादों की पहचान कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक खरीद को पारदर्शी बनाने का प्रयास है, किंतु क्रियान्वयन में चुनौतियाँ हैं-

- उपयोगकर्ता अपनापन और डिजिटल साक्षरता:** ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों और छोटे विक्रेताओं में तकनीकी कौशल की कमी से प्लेटफॉर्म का उपयोग सीमित होता है।
- विक्रेता पंजीकरण की जटिलता:** MSMEs के लिए दस्तावेजीकरण और KYC प्रक्रिया समय लेने वाली है, जिससे भागीदारी कम रहती है।
- गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण:** उत्पाद मानकों की जाँच तथा समयबद्ध डिलीवरी के लिए मजबूत तंत्र की आवश्यकता, अन्यथा विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
- शिकायत निवारण और एकीकरण:** विवादों का त्वरित समाधान तथा पुरानी प्रणालियों से एकीकरण में कठिनाई, प्रशासनिक दक्षता को बाधित करती है।
- क्षमता निर्माण:** निरंतर प्रशिक्षण की कमी से नीतिगत अनुपालन प्रभावित होता है।

GeM की चुनौतियों को डिजिटल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सुधार के माध्यम से दूर करके, इसे भविष्य के कुशल और पारदर्शी सरकारी खरीद का मानक बनाया जा सकता है।

प्र. क्या आपके विचार में 'आधार' योजना ने समावेशी शासन और प्रशासनिक विश्वसनीयता को बढ़ावा दिया है? प्रकाश डालिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: 'आधार' योजना ने बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से सेवाओं को लक्षित कर, वितरण तंत्र में सुधार करके समावेशी शासन और प्रशासनिक विश्वसनीयता को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया है।

'आधार' ने समावेशी शासन (Inclusive Governance) और प्रशासनिक विश्वसनीयता (Administrative Credibility) को निम्नलिखित तरीकों से बढ़ावा दिया है:

समावेशी शासन को बढ़ावा

- लक्षित सेवा प्रदायगी (Targeted Service Delivery):** आधार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) को सक्षम किया है, जिससे सब्सिडी और कल्याणकारी लाभ (जैसे LPG सब्सिडी, MGNREGA वेतन, राशन) सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचते हैं।
- इससे बिचौलियों का उन्मूलन हुआ और लीकेज (Leakage) कम हुई, जिससे लाभ वास्तविक रूप से वंचित और हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुँचा।

ग्रामीण विकास

प्र. ग्राम सभा सामुदायिक सहभागिता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। स्पष्ट कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत संस्था है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सामुदायिक सहभागिता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है।

ग्राम सभा द्वारा सामुदायिक सहभागिता को प्राप्त करने का लक्ष्य निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है:

- **प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मंच:** ग्राम सभा ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं को शामिल करती है, जिससे यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच बन जाती है। यह स्थानीय शासन के निर्णयों में समुदाय की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करती है।
- **निर्णय-निर्माण में समावेशिता:** यह स्थानीय योजनाओं (जैसे MGNREGA के कार्य), बजट और विकास कार्यक्रमों के अनुमोदन के लिए एक मंच प्रदान करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि नीतियाँ सामुदायिक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित हों, न कि केवल कुछ व्यक्तियों के हितों पर।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना:** ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कार्यों और वित्तीय विवरणों पर चर्चा और जाँच की जाती है। यह सामाजिक ऑडिट के माध्यम से पदाधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है।
- **सामाजिक सामंजस्य और सशक्तिकरण:** सभा में कमजोर वर्गों (जैसे महिलाएँ, SC/ST) को अपनी आवाज उठाने और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का अवसर मिलता है। यह सामाजिक गतिशीलता और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।
- **लाभार्थियों की पहचान:** ग्राम सभा सरकारी योजनाओं (जैसे आवास, पेंशन) के लिए वास्तविक और पात्र लाभार्थियों की पहचान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि लाभ समुदाय के सबसे जरूरतमंद सदस्यों तक पहुँचे, जिससे निष्पक्षता बनी रहती है।
- ग्राम सभा जमीनी स्तर पर भागीदारी और समावेशी शासन का आधार स्तम्भ है, जो भविष्य में उत्तरदायी और लोकतांत्रिक स्थानीय स्वशासन को मजबूत करेगी।

प्र. भारतीय स्थानीय सरकारों में कई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, विशेषतः वंचित पृष्ठभूमि से, प्रभावी रूप से शासन करने के लिए प्रायः संघर्ष करती हैं। परीक्षण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025)

उत्तर: स्थानीय निकायों में महिलाओं का व्यापक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक गहराई का संकेत है, किंतु वंचित पृष्ठभूमि से आई अनेक निर्वाचित महिलाएँ संरचनात्मक, सामाजिक और संस्थागत बाधाओं के कारण प्रभावी शासन में चुनौतियों का सामना करती हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ

- पितृसत्तात्मक मान्यताएँ, कम शिक्षा स्तर तथा निर्णय प्रक्रिया से सीमित पूर्व-अनुभव कई महिलाओं की सहभागिता को बाधित करते हैं।
- सामाजिक झिझक और सार्वजनिक मंचों पर बोलने में असहजता उनके नेतृत्व को प्रभावित करती है।

संस्थागत एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ

- पंचायत/नगर निकायों में जटिल प्रक्रियाएँ, अधूरी जानकारी, और अपर्याप्त प्रशिक्षण से प्रशासनिक कार्य कठिन हो जाते हैं।
- तकनीकी सहायताओं (डिजिटल शासन, फंड मैनेजमेंट) की कमी निर्णय क्षमता को कमजोर करती है।

संसाधन सीमाएँ

- स्थानीय सरकारों के सीमित वित्तीय संसाधन और अनियमित फंड रिलीज के कारण योजनाएँ अपेक्षित रूप से लागू नहीं हो पातीं।

प्रॉक्सी नेतृत्व का मुद्दा

- कई बार परिवार/सामुदायिक पुरुष सदस्य प्रोक्ष रूप से निर्णय-निर्धारण में प्रभावी बन जाते हैं, जिससे महिला प्रतिनिधियों का राजनीतिक व प्रशासनिक आत्मविश्वास कम होता है।

सुधारात्मक पहल एवं सकारात्मक पहलू

- प्रशिक्षण कार्यक्रम (RGSA), स्वयं सहायता समूहों का समर्थन, महिला फेडरेशन, और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं ने नेतृत्व क्षमता को धीरे-धीरे मजबूत किया है।
- कई जिलों में महिला सरपंचों ने जल प्रबंधन, शिक्षा, पोषण और स्वच्छता में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं।
- चुनौतियाँ मौजूद हैं, पर निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी सशक्तिकरण, लैंगिक-संवेदनशील नीतियाँ और सामुदायिक समर्थन तंत्र महिलाओं को स्थानीय शासन में अधिक सक्षम, आत्मविश्वासी और परिवर्तनकारी नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में मजबूत आधार बना रहे हैं।

प्र. स्थानीय शासन के रूपांतरण की यात्रा लंबी रही है। ग्राम स्वराज की भावना को प्राप्त करने में चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर: भारत में स्थानीय शासन की यात्रा लंबी और विकसित होती रही है, जिसका उद्देश्य महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करना है-जो आत्मनिर्भर, सहभागी और विकेंद्रीकृत शासन पर आधारित है।

73वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा मिला, जिससे स्थानीय स्व-शासन को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। हालांकि, ग्राम स्वराज की वास्तविक भावना को प्राप्त करना अभी भी कई संरचनात्मक और परिचालनगत बाधाओं के कारण चुनौती बना हुआ है।